Ministry of Environment Forest & Climate Change

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण

(पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्त व सांविधिक बॉडी)

वार्षिक प्रतिवेदन

2014 - 2015

इस प्रकाशन एलक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध है

प्रकाशक

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण
पॉचवीं मंजिल, टाइसेल बयो पार्क, सीएसआईआर रोड
तरमणि, चेन्नई 600 113
तमिलनाडु, भारत
दूरभाष : +91 44 2254 1075 \ 2254 2777
फेक्स : +91 44 22541200
ईमेल : secretary@nbaindia.org
वेबसाइट : www.nbaindia.org

फोटो
श्री स्टालिन रमेश

मुद्रण व डिजाइन
वेंट्रिकार्ति प्रिंटर्स
सं.377, वेंकटेश्वरा नगर, द्वितीय क्रास स्ट्रीट
वेलचेरी, चुन्नई 600 042
सेल : 99946 74261, 96882 71606,
ईमेल :vetrikarthiprinters@gmail.com.

सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन
2014-15

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण

पॉचवीं मंजिल, टाइसेल बयो पार्क, सीएसआईआर रोड तरमणि
चेन्नई 600 113 तमिलनाडु

Tel: +91 44 2254 1075 | 2254 2777 | Fax: +91 44 22541200
Email: secretary@nbaindia.org | Website: www.nbaindia.org

सत्यमेव जयते

हेम पाण्डेय, आई.ए.एस

अध्यक्ष,

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण

(पूर्ण अतिरिक्त प्रभार) और अपर सचिव, एमओईएफ और सीसी।

प्रस्तावना

उष्णकटिबंधीय तथा शीतोष्ण वन, स्वेंप जमीन, रेगिस्तान, पहाड, समतल, चरागाह, कृषिक परिदृश्य, आदि जैसे गहरे रेंज के पारिस्थितिकियों तथा सभी जीव जन्तुओं के 8 प्रतिशत के साथ, विश्व के सत्रह मेगा जैवविधिक देशों में से एक है। युगों से बने ये संवृद्ध जीव प्रारूप जीवन के वेब को मात्र संधारण नहीं करते, बल्कि देश की आर्थिकता को निर्माण करता है और मिलियन संख्यों की आजीविका, जैवविविधता से असामधेय रूप से जुडे है जिसमें आजीविका और जीवन के जीविका के लिए वनी तथा उपज प्रारूप सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, देश में निवास करनेवाले भिन्न जनसंख्या के साथ, समूह जो जैवविविधता पर निर्भर है और पोषण करते हैं वह अमूल्य है। विशिष्टतः हमारे देश तीन जैवविविधता हॉटस्पॉटों का घर है, इस क्षेत्रों में संवृद्ध स्थानिक जीव रूपों का दृतगति गिराव चिंता का एक विषय है। इसलिए, जैवविविधता का परिरक्षण तथा संधारणीय उपयोग महत्वपूर्ण विषय है।

भारत सरकार ने जैवविविधता अधिनियम को 2002 में अधिनियमित किया और 2004 में जैविक विविधता अधिवेशन (सीबीडी) के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में जिम्मेदारी को निभाने नियम को 2004 में अधिनियमित किया, जिसका मूल सिद्धांत जैविक विविधता का परिरक्षण, आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से लाभ का संधारणीय उपयोग तथा उचित व न्यायसंगत आबंटन है। इस ओर, बीडी अधिनियम तथा नियमों को केन्द्रीय, राज्य तथा क्षेत्रीय स्तरों में विकेन्द्रीकृत तरीके से तीन टायर तरीका से कार्यान्वयन करने के लिए राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (एनबीए) को स्थापित किया गया।

2014–15 का वार्षिक प्रतिवेदन एनबीए के कार्यों को दस्तावोजीकृत करता है और राज्य जैवविविधता बोर्ड (एसबीबी) तथा जैवविविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के जरिये राज्य तथा क्षेत्रीय स्तर में पूर्ण किये गये विशिष्ट कार्यों को प्रदर्शित करता है।

बीडी अधिनियम को कार्यान्वयन करने तथा उसके सांविधिक कार्यों को पूर्ण करने की ओर एनबीए को समर्थन तथा मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए पर्यावरण, वन तथा जलवायु मंत्रालय, प्राधिकरण के सदस्य, विभिन्न विशेषज्ञ समितियों के सदस्यों को मैं आभार प्रकट करता हूँ।

2014–15 के वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन में अपना अंशदान प्रदान किये एनबीए के अधिकारियो तथा कर्मचारियों को तथा अन्य व्यक्ति जिन्होंने इस प्रतिवेदन प्रकाशित करने में अपना अंशदान प्रदान किया, अपनी आभार प्रकट करना चाहूँगा। मैं आशा करता हूँ कि इस इस वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014–15 के लिए विशिज्ञष्ट गतिविधियों का झलक प्रदान करता है।

हेम पाण्डेय

अध्यक्ष, एनबीए

सत्यमेव जयते

टी रबिकुमार आईएफएस सचिव
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण

पावती

जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 28 के प्रावधानों के अनुसार, वर्ष 2014–15 के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन संकलित किया गया है। जैवविविधता नियम के कार्यान्वयन की ओर वर्ष के दौरान एनबीए की विशिष्ट उपलब्धियों को हाइलाइट करता है। इस वार्षिक प्रतिवेदन राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा अपनाये गये कार्यों का झलक भी प्रदान करता है।

मैं अपना हार्दिक आभार अध्यक्ष, एनबीए को अभिव्यक्त करना चाहूँगा, जिनकी मूल्यवान सलाह तथा उत्प्रेरणा ने प्रभारी तौर पर लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए हमें सहायता प्रदान किया।

जैविक विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन की ओर,, पर्यावरण, वन तथा जलवायु मंत्रालय द्वारा प्रदत्त सतत मार्गदर्शन, समर्थन तथा सलाह के लिए अपना गहरा कृतज्ञता अर्पित करना चाहूँगा । सचिवालय के कार्यकलापों को आगे बढाने में, उनसे प्रदत्त अमूल्य सहायता, समर्थन तथा मार्गदर्शन के लिए प्राधिकरण तथा विशेषज्ञ समितियों के सदस्यों को अपना आभार अभिव्यक्त करने में हर्ष का अनुभव करता हूँ।

आखिर, इस प्रतिवेदन को संकलित करने व प्रकाशित करने की ओर, एनबीए सचिवालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अपनाये गये प्रयत्नों का मैं पूर्ण रूप से सराहना देता हूँ ।

टी रबिकुमार आईएफएस

विषयवस्तु

अध्याय सं	विषय	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	14
2	प्राधिकारी तथा विशेष समितियों का गठन व बैठक	16
3	अभिगम व लाभ आबंटन (एबीएस)	19
4	गतिविधियॉ व उपलब्धियॉ	25
5	राज्य जैवविविधता बोर्ड – कार्यक्रम व गतिविधियॉ	28
6	जैव विविधता नीति व विधि के लिए केन्द्र (सीईबीपीओएल)	38
7	अभिगम तथा लाभ आबंटन प्रावधानों पर केन्द्रीकरण के साथ जैविक विविधता अधिनियम तथा नियम के कार्यान्वयन को सुदृढ करना	41
8	कानूनी तथा नियंत्रणीय रूपरेखा का पुनर्विलोकन	42
9	वित्तीय निष्पादन	44
10	वार्षिक योजना 2015–16	48
अनुलग्नक		
	अनुलग्नक 1	49
	अनुलग्नक 2	51
	अनुलग्नक 3	54
	अनुलग्नक 4	55
	अनुलग्नक 5	56
	अनुलग्नक 6	63
	अनुलग्नक 7	64

कार्यपालक सार

विश्व में जैविक संसाधनों के पतन के बारे में गहरे चिंता ने 1992 में जैविक विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (सीबीडी) अपनाने दिया, जो जैविक संसाधनों के परिरक्षण, उसके संधारणीय यउपयोग तथा आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग के जरिये लाभों का उचित तथा न्यायसंगत आबंटन संबंधित मुख्यता को हाइलाइट करता है।उनके अपन जैविक संसाधनों पर राष्ट्रों के प्रभुत्व अधिकार को सीबीडी पुनःपुष्टि करता है और जोर देता है कि पर्यावरणीय तौर पर मुख्य कार्यों के लिए आनुवंशिक संसाधनों से अभिगम प्रदान करना है और उन्हें राष्ट्रीय विधानों द्वारा व्यवस्थित किया जाना है। सत्रह जैवविविध देशों में से भारत एकहै और सीबीडी का एक हस्ताक्षरकर्ता है। सीबीडी को प्रभावी करने और परिरक्षण, संधारणीय उपयोग तथा हमारे जैविक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों के उचित तथा न्यायसंगत आबंटन संबंधित मुख्यता पर विचार करते हुए भारत सरकार ने जैविक विविधता अधिनियम (बीडी अधिनियम) 2002 को अधिनियमित किया और 2004 में जैविक विविधता नियम को अधिसूचित किया। राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (एनबीए) चेन्नई को जैविक विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को कार्यान्वयन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर में मुख्य संस्थानीय मेकनिसम के रूप में स्थापित किया गया। कार्यान्वयन प्रक्रिया को विकेन्द्रीकृत करने के लिए राज्य स्तर में राज्य जैवविविधता बोर्ड (एसबीबी) तथा क्षेत्रीय स्तर में जैवविविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) को स्थापित किया गया। राष्ट्रीय स्तर में, जैवविविधता से संबंधित समस्याओं पर भारत सरकार के लिए सुविधाजनक, नियंत्रणीय तथा सलाहकारीय कार्य निष्पादित करता है। जैविक संसाधनों से अभिगम, जैविक संसाधनों का अंतरण तथा भारतीय जैवविविधता परिरक्षण से संबंधित अन्य कई विषयों को नियंत्रित करने के लिए एनबीए सांविधिक तौर पर सशक्त है। विभिन्न कार्यों के लिए भारत से प्राप्त तथा गठित ज्ञान या जैविक संसाधनों से अभिगम के लिए परस्पर में सहमत शर्तों के लिए उचित तथा न्यायसंगत लाभ आबंटन के लिए इस अधिनियम रास्ता प्रदान करता है।

एनबीए प्राथमिकतः विदेशी व्यक्तियों, संस्थाओं या कंपनियों द्वारा अभिगम के लिए विनती तथा ऐसे एन्टाईटियों द्वारा अनुसंधान से प्राप्त परिणामों के अंतरण, और लाभों के न्यायसंगत आबंटन प्राप्त करने के लिए शर्त व निबंधन आरोपित करने व अनुसंधान पर आधारित करके आविष्कार के लिए भारत में या भारत के बाहर किसी प्रकार के प्रारूप मॉगने के लिए अनुमोदन या भारत से प्राप्त जैविक संसाधन से संबंधित विवरण से संबंधित विषयों के साथ व्यवहार करता है । केन्द्रीय, राज्य तथा क्षेत्रीय स्तर में जैवविविधता निधि निर्माण करना भी एनबीए सुसाध्य बनाता है। एनबीए द्वारा अनमोदन के परिणामस्वरूप प्राप्त आर्थिक लाभ, शुल्क और रॉयल्टी को राश्ट्रीय जैवविविधता निधि में जमा किया जाता है। इस निधि को संसाधनों को जहॉ से अभिगम किया गया उन क्षेत्रों के परिरक्षण तथा विकास के लिए उपयोग किया जाएगा।

इस प्रतिवेदन वर्ष 2014–15 के लिए एनबीए की प्रगति को प्रस्तुत करता है। इस अवधि के दौरान, एनबीए द्वारा विभिन्न हितधारकों के 113 नये आवेदनों को संवहन किया गया। एनबीए के कार्य को आकृति देने हेतु अधिकारी तथा गैर–अधिकारी सदस्य द्वारा अपने इनपुट तथा मार्गदर्शन के साथ, वर्ष के दौरान चार प्राधिकरण बैठकों को आयोजित किया गया। इसके अलावा, अभिगम तथा लाभ आबंटन पर विशेषज्ञ समिति (एबीएस) का चार बैठक आयोजित किया गया और उस बैठक में जैविक संसाधन और/या संबंधित ज्ञान से अभिगम पर कई आवेदनों का मूल्यांकन किया गया और तकनो–कानूनी समस्याओं पर सिफरिश व इनपुट प्रदान किया गया। एनबीए ने 21/11/2014 को एबीएस नियंत्रणों को अधिसूचित किया। जैविक संसाधनों तथा संबंधित ज्ञान से अभिगम और लाभ आबंटन नियंत्रण, 2014 पर मार्गदर्शिकाओं में, जैविक संसाधनों और/या संबंधित ज्ञान से अभिगम और लाभ आबंटन तरीका के लिए प्रक्रियाऍं उपलब्ध है। एनबीए द्वारा 15 विदेशी खरीददारों को आन्ध्र प्रदेश सरकार से नीलामी किये गये रेड सेन्डर्स से

अभिगम के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया। इस प्रक्रिया द्वारा एनबीए ने लाभआबंटन के रूप में रु.15.49 करोड प्राप्त किया। अगस्त 2014 में नगोया प्रोटोकॉल के लिए एमओईएफ और सीसी ने एनबीए को ''सक्षम राष्ट्रीय प्राधिकारी '' के रूप में अभिहित किया। सचिव,, एनबीए को भी जैविक विविधता सम्मेलन (सीबीडी) के अभिगम तथा लाभ आबंटन (एबीएस) क्लियरिंग हाउस के लिए 'राष्ट्रीय प्राधिकृत उपयोगकर्ता ' के रूप में अभिहित किया गया।

राज्य स्तर में, सभी 29 राज्यों द्वारा राज्य जैवविविधता बोर्ड (एसबीबी) स्थापित किया गया। क्षेत्रीय स्तर में, अब तक, 37769 जैवविविधता समितियों (बीएमसी) यों का गठन किया गया और देश भर में 2063 जन जैवविविधता पंजीयों (पीबीआर) को दस्तावेजीकृत किया गया। एमओईएफ और सीसी और एसबीबीयों के बीच, अधिसूचना प्रक्रिया को दृतगति प्रदान करने के लिए एनबीए फेसिलिटेटर का कार्य करता है। अब तक, 16 राज्यों तथा 2 संघ राज्यों में संकट में पडे प्रजातियों को एमओईएफ और सीसी ने अधिसूचित किया है। भारत के संघ राज्यों में जैवविविधता प्रबंधन समितियों को अनुवीक्षण करने तथा कार्यान्वयन करने के लिए जैवविविधता परिषदों को निर्माण करते हुए जैवविविधता अधिनियम 2002 को कार्यान्वयन करने के लिए एनबीए ने पहलु अपनाया। 29 एसबीबीयों में से, नये तौर पर निर्मित तेलंगाना एसबीबी यॉ सम्मिलित करके 21 एसबीबीयों ने राज्य नियमों को अधिसूचित किया। वर्ष 2014–15 के दौरान, 807 बीएमसीयों तथा 483 पीबीआरों की तैयारी के लिए रु. 10,17,00,416/– तक वित्तीय समर्थन एनबीए द्वारा विस्तार किया गया। इसके अलावा, एनबीए ने कर्मचारियों के आउटसोर्सिंग, आधारभूत सुविधा, अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस मनाने (आईबीडी), बीएमसी के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण कार्यक्रम, सामग्रियों का अनुवाद, प्रकाशन व वितरण, थीमेटिक विशेषज्ञ समितियों का गठन, पीर से पीर अध्ययन तथा आदान प्रदान दौरा और वेबसाईटरखरखाव को समर्थन करने के लिए 'एसबीबीयों को सुदृढ करना '' शीर्षक के अधीन रु.3,94,56,834/– वितरित किया। एसबीबी द्वारा कार्यशालाएँ/ प्रदर्शन/ कांफरेन्स/ प्रशिक्षण/ जागरूकता कार्यक्रम आदि आयोजित किया गया।

इस वर्ष के लिए अन्य मुख्य हाइलैट है वैश्विक तथा राष्ट्रीय जैवविविधता लक्ष्यों की उपलब्धि की ओर, जैवविविधता पर व्यय को मापने हेतु औजार तथा विधिवत रूपरेखा प्रदान करने के लिए संघ राज्य विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा कार्यान्वित जैवविविधता वित्त पहल (बयोफिन) को कार्यान्वयन करने के लिए एनबीए को हास्ट संस्था के रूप में चयन किया जाना। जैवविविधता सिद्धांत तथा नीति के लिए केन्द्र (सीईबीपीओएल) जो भारत सरकार और नार्वे के बीच संयुक्त पहल है ने चेन्नई में फरवरी 2015 को सीईबीपीओएल समेकन पर दो दिवसीय कार्यशाला – अभिगम तथा लाभ आबंटन पर अनुभव के आबंटन पर, आयोजित किया। इस कार्यशाला में श्री लार्स अन्ड्रियास लुण्डे, उप मंत्री, मौसम तथा पर्यावरण मंत्रालय, नार्वे, श्री एविंड होम, अम्बेसेडर, रॉयल नॉर्वेजियन एम्बेसी, नई दिल्ली और श्री हेम कुमार पाण्डेय, आई एएस, अपर सचिव, एमओईएफ और सीसी तथा अध्यक्ष एनबीए भाग लिये। प्रत्येक वर्ष मई 22 को विश्व भर में जैविक विविधता अंतर्राष्ट्रीय दिवस (आईबीडी) मनाया जा रहा है। संघ राज्य जनरल असेम्ब्लि द्वारा ''लघु द्वीपीय विकास होनेवाले राज्यों का अंतराष्ट्रीय वर्ष '' के रूप में 2014 को घोषित करने के अनुरूप इस वर्श संघ राज्य जनरल असेम्ब्लि का थीम ''द्वीप जैवविविधता '' था। इस थीम,, अनोखी आनुवंशिक जैवविविधता के लिए कोष पर निर्भर समूहों के लिए मुख्य होने के अलावा, द्वीपीय पारिस्थितिकी के रूप में समुद्रीय जैवविविधता के बारे में जागरूकता को विकसित करने के लिए अवसर प्रदान किया। जैविक विविधता अंतर्राष्ट्रीय दिवस समारोह का राष्ट्रीय स्तर समारोह सभी हितधारकों के प्रतिभागिता के साथ पोर्ट ब्लेयर, अंदमान व निकोबार द्वीप में आयोजित था और इसे राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण के जरिये एमओईएफ द्वारा आयोजित किया गया था। इस अवसर पर, एमओईएफ और सीसी तथा संघ राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा ''2014 भारतीय जैवविविधता पुरस्कार '' घोषित किया गया। प्रो एम.एस. स्वामीनाथन, अध्यक्ष, एम.एस. स्वामीनाथन अनुसंधान फाउन्डेशन, पुरस्कृतों को चयन करने के लिए विख्यात निर्णायक समिति का नेतृत्व किया जिन्होंने सात विजेताओं और रनर–अप को चार वर्गों से पुरस्कृत किया। लेफटिनेन्ट जनरल श्री ए.के. सिंह, अंदमान और निकोबार का लेफटिनेन्ट राज्यपाल, श्री हेम कुमार पाण्डेय, अपर सचिव, एमओईएफऔरसीसी तथा यूएनडीपी देश निदेशक, श्री जार्न सारेन्सन द्वारा पोर्ट ब्लेयर में पुरस्कार वितरित किया गया। समुद्री जैवविविधता के मुख्यता पर जनसाधारण में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए संबंधित राज्य में राज्य जैवविविधता बोर्डो द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

2014–15 के लिए वित्तीय तालिका तथा 2015–16 के लिए वार्षिक योजना भी इस प्रतिवेदन में विस्तार से दिया गया है।

1. वार्षिक प्रतिवेदन 2014–15

प्रस्तावना

भारत का उसकी संवृद्ध जैवविविधता विरासत, लगभग 3.5 बिलियन वर्श से अधिक, प्राकृतिक प्रक्रियाओं और मुख्यतः मानव प्रभाविता के कारण संरचित विकासवादी विकास का परिणाम है। जैवविविधता जीवन के झाली को संधारण करता है और पारिस्थितिकीय सेवाएँ, जैविक संसाधनों के प्रावधानीकरण और सामूहिक–सांस्कृतिक लाभों जैसे प्राकृतिक क्रियाओं की असंख्यता के लिए मुख्य है। जैवविविधता का परिरक्षण, सभी जीवित रूपों के उत्तरजीविता तथा सुखों के लिए आधार बनता है। जैवविविधता का संधारणीय उपयोग, भारतीय संस्कृति तथा जीवन शैली का अंग बन चुकी है। जैवविविधता तथा पारिस्थिकिय सेवाएँ गरीबी उन्मूलन तथा राष्ट्रीय विकास की ओर अंशदान प्रदान करते है।

भारत की जैवविविधता, विश्व में बहुत ही अनोखी स्थान भी प्राप्त किया है। यह इस क्षेत्र के आर्थिक तथा सामूहिक–सांस्कृतिक प्रथाओं के साथ विस्तार से जुडा है। नेशनल जियोग्राफिक द्वारा 2010 में अपनाये गये सर्वेक्षण के अनुसार, 47 प्रतिशत भारतीय इस क्षेत्र में फलित खाद्य को खाते है, जो पश्चिम विकसित देशों में 5–6 प्रतिशत के तुलन में है। भारतीय जनसंख्या का अधिकतम प्रतिशत भी आर्थिक जीविका के लिए क्षेत्रीय वनस्पति तथा जीव पर निर्भर है। इसलिए, जैवविविधता की हानि, वर्तमान प्राकृतिक आदान प्रदान पर मात्र बाधा नहीं पहुँचाएगा, पर भारत के मिलियनों व्यक्तियों के आजीविका श्रोतों पर प्रभाव डालेगा। इसके अतिरिक्त, चिकित्सीय उपयोग, आर्थिक मुख्यता तथा सांस्कृतिक पद्धतियॉ जैसे प्रजाति से संबंधित परंपरागत ज्ञान पर गंभीर बाधा पहुँचेगा।

भारत उन देशों में से एक है जिन्होंने जैविक विविधता 1992 अधिवेशन के उद्देश्यों की उपलब्धि हेतु व्यापक विधान बनाया है। भारत ने, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (एनबीए) अधिनियम को कार्यान्वयन करने के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य संस्थानीय मेकनिसम के रूप में जैविक विविधता अधिनियम (बीडीए) 2002 को पारित किया। परिरक्षण, संधारणीय उपयोग तथा उचित व न्यायसंगत आबंटन के संबंध में जैवविविधता से संबंधित समस्याओं पर भारत सरकार को एनबीए सलाह प्रदान करता है। जैविक संसाधनों से अभिगम के लिए मार्गदर्शिका जारी करता है तथा गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ऐसे, एनबीए देश की जैविक विविधता को सुरक्षा प्रदान करने की ओर तथा भारत से प्राप्त किसी भी जैविक संसाधन पर या भारत से प्राप्त ऐसे जैविक संसाधनों के साथ संबंधित ज्ञान पर अन्य देशों को बौदिधक संपत्ति अधिकार प्रदान करने से विरोध करने में केन्द्रीय सरकार की ओर से आवश्यक कदम लेता है। अभिगम तथा लाभ आबंटन (एबीएस) के अधीन गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए प्रक्रिया और मार्गदर्शिकाएँ निर्धारित करना, पूर्व सूचित स्वीकृति (पीआईसी), सामग्री अंतरण समझौता (एमटीए) तथा बौद्धिक संपत्ति अधिकार (आईपीआर) और जैविक विविधता पर संघ राज्यों (सीबीडी) के अनुच्छेद 8 (जे) के साथ अनुसरण में अन्य क्रियाओं को निष्पादित करता है।

जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 22 के अधीन, प्रत्येक राज्य को राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी) स्थापित करना है जो बॉडी कार्पोरेट होंगे। जैविक संसाधनों के परिरक्षण, संधारणीय उपयोग और उनके उपयोग से प्राप्त लाभों का न्यायसंगत आबंटन से संबंधित विषयों पर राज्य सरकार को एसबीबी सलाह देता है। भारतीयों द्वारा किसी भी जैविक संसाधन के वाणिज्यिक उपयोग का भी एसबीबी नियंत्रित करता है। अधिनियम की धारा 41 के अधीन निर्धारित अनुसार, आवास, लेन्डरेसस, लोक किस्मों और किस्मों, पालतू स्टॉक व ब्रीड, लघु आर्गनिसम तथा क्षेत्रीय जैव विविधता से संबंधित ज्ञान सम्मिलित करके, जैविक विविधता का परिरक्षण, संधारणीय उपयोग तथा जैविक विविधता दस्तावेजीकरण के प्रान्नयन के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय बॉडी द्वारा जैवविविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) का गठन किया जाएगा।

1.1 राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण को भारत के जैविक विविधता अधिनियम 2002 को कार्यान्वयन करने हेतु चेन्नई, तमिलनाडु में मुख्यालय के साथ, प्राधिकारी, सचिवालय, एसबीबीयों, बीएमसीयों तथा विशषज्ञ समितियॉ शामिल संरचना के जरिये, उसके अध्यादेश को डेलिवर करने हेतु, 2003 में स्थापित किया गया था।

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण

- भारत सरकार को जैवविविधता परिरक्षण, उसके भागों का संधारणीय उपयोग तथा जैविक संसाधनों के उपयोग में से प्राप्त लाभों का उचित तथा न्यायसंगत आबंटन पर सलाह देना
- बीडी अधिनियम 2002 की धाराऍं 3,4 तथा 6 के साथ अनुसरण में गतिविधियों को नियंत्रित करना तथा जैविक संसाधनों से अभिगम के लिए तथा उचित तथा न्यायसंगत आबंटन के लिए मार्गदर्शिकाऍं जारी करना। कुछ व्यक्ति/नागरिक/ संगठन को जैविक संसाधन और/या संबंधित ज्ञान उपयोग हेतु प्राप्त करने के लिए एनबीए का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना है।
- भारत से प्राप्त किसी जैविक संसाधन या भारत से गैर–कानूनी तौर पर प्राप्त ऐसे जैविक संसाधन के साथ संबंधित ज्ञान पर भारत के बाहर किसी देश में बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान करने से विरोध करने संबंधित आवश्यक कदम लेना ।
- विरासतीय स्थलों के रूप में अधिसूचित करने हेतु जैवविविधता प्रमुख क्षेत्र चयन करने में तथा तथा उनकी व्यवस्था हेतु कदम सुझावित करने में राज्य सरकार को सलाह देना
- जिन जैवविविधता पंजीयों के दस्तावेजीकरण के लिए जैवविविधता प्रबंधन समितियों को राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण तथा राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा मार्गदर्शन तथा तकनीकि समर्थन प्रदान किया जाता है।
- जैविक विविधता अधिनियम के प्रावधानों को अपनाने के लिए आवश्यक अन्य ऐसे गतिविधियों को निश्पादन करना

2. प्राधिकारी तथा विशेषज्ञ समिति का गठन तथा बैठक

2.1 प्राधिकारी का गठन

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण का एक अध्यक्ष, भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों से दस पदेन सदस्य, जैविक विविधता का परिरक्षण, संधारणीय उपयोग तथा जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभों के न्यायसंगत आबंटन से संबंधित विषयों में अनुभव प्राप्त तथा विशषज्ञों में से 5 गैर–सरकारी सदस्य, उद्योग के प्रतिनिधि, जैविक संसाधनों के परिरक्षक, निर्माता तथा ज्ञान वाहक होंगे। प्रतिवेदित वर्ष के दौरान सदस्यों की सूची अनुलग्नक 2 में सलग्न है।

प्राधिकरण तथा विशेषज्ञ समितियों का बैठक

वर्ष 2014–15 के दौरान, प्राधिकरण का बैठक चार बार आयोजित था और विस्तार से विभिन्न समस्यों पर विचार विमर्श किया तथा उचित कार्यवाही के लिए सचिवालय को निर्देश/ सुझाव प्रदान किया। इसके अलावा, प्राधिकरण ने एबीएस पर विशेषज्ञ समितियों के सिफारिश के साथ एबीएस आवेदन पत्रों पर विचार किया और निर्णय लिया। बैठक में विचार विमर्श किये गये एजेन्डा तथा परिणाम नीचे दिया जा रहा है।

2.2.1 29वॉ प्राधिकरण बैठक

श्री हेम पाण्डेय, आई.ए.एस, अध्यक्ष, एनबीए की अध्यक्षता के अधीन नई दिल्ली में मई 15, 2014 को 29वें प्राधिकरण बैठक आयोजित किया गया था। इस बैठक में विचार विमर्श किये गये विषयों में मुख्य मद निम्न है 1. अभिगम तथा लाभ आबंटन पर पुनरीक्षित नमूना मार्गदर्शिका का अंतिम रूप, फरवरी तथा नवंबर 2013 को आयोजित 22 से 27वें बैठक के कार्यवृत्त पर विचार करना, नगोया प्रोटोकॉल कार्यान्वयन करने के लिए अधिसूचना/ आदेश जारी करना तथा सामान्य तौर पर व्यापार किये जानेवाले सामग्रियों की अधिसूचना का पुनरीक्षण।

2.2.2. 30वॉ प्राधिकरण बैठक

जुलाई 11, 2014 को नई दिल्ली में 30वॉ प्राधिकरण बैठक (विशेष बैठक) आयोजित किया गया था। इस बैठक अभिगम तथा लाभ आबंटन, नगोया प्रोटोकॉल कार्यान्वयन के लिए नमूना अधिसूचना/ आदेश तथा आपातकालीन प्रकार्यों के लिए तथा गैर–वाणिज्यिक अनुसंधान तथा संबंधित गतिविधियों के लिए जैविक संसाधनों को भेजना/ले जाने संबंधित निर्णय लिया।

2.2.3. 31वॉ प्राधिकरण बैठक

अगस्त 27, 2014 को नई दिल्ली में 31वॉ प्राधिकारण बैठक आयोजित किया गया। इस बैठक के विचार विनिमय में, एबीएस पर ईसी के 28वॉ बैठक का कार्यवृत्त, कृषिक–जैवविविधता पर ईसी के 5वें बैठक का कार्यवृत्त, कृषि तथा सहकारिता विभाग (डीएसी) द्वारा विकसित खाद्य तथा कृषि के लिए पौधा आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता (आईटीपीजीआरएफए) के कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शिकाएँ, सलाहकार/विधि को शामिल करने पर प्रस्ताव, बी डी अधिनियम की धारा 61 (ए) के अधीन एनबीए को शिकायतकर्ता के रूप में, जन जैवविविधता पंजी पर राष्ट्रीय सूचना नेटवर्क विकसित करने के लिए प्रस्ताव, शामिल था।

2-2-4 32वॉ प्राधिकरण बैठक

32वॉ प्राधिकारी बैठक का आयोजन दिसंबर 12, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस अजेन्डा में, एबीएस पर ईसी के 29वॉ बैठक कार्यवृत्त पर विचार, लाल सेन्डर्स से अभिगम मॉगते हुए आवेदन पर अनुमोदन प्रदान करने के लिए मार्गदर्शिकाएँ, लाभ आबंटन में घटाव तथा धारा 19(3) के अधीन आवेदकों के मॉग की सुनवाई के लिए प्रस्ताव, आवेदन पत्रों को भरने के लिए पुनरीक्षित नमूना मार्गदर्शिकाएँ, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र (आईआरसीसी) से संबंधित नगोया प्रोटोकॉल का अनुपालन, एसबीएस पर पुनरीक्षित मार्गदर्शिकाओं पर एसबीबीयों के साथ परामर्शदाता बैठक का कार्यवृत्त, एमआईईएफ और सीसी, नई दिल्ली में सितंबर 17, 2014 को आयोजित एनबीए और सीएसआईआर के बीच संयुक्त बैठक का कार्यवृत्त, तमिलनाडु के दक्षिणीय तटीय जिलाओं में समुद्री सिवार (केपापैसस अलवेर्जी) के प्रभाव पर प्रतिवेदन, बीडी अधिनियम 2002 की धारा 39 के अधीन राष्ट्रीय कोष का पद और राज्य जैवविविधता बोर्डों के 8वीं तथा 9वीं वार्षिक बैठकों पर प्रतिवेदन शामिल था।

2.2.5 अभिगम तथा लाभ आबंटन पर विशेषज्ञ समिति (एबीएस)

जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अनुसार, इस अधिनियम के अधीन गतिविधियों के निष्पादन हेतु तथा कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए प्राधिकरण द्वारा जैसे उचित समझें उतने समितियों का गठन किया जा सकता है।

अनुसंधान, जैव–सर्वेक्षण और जैव–उपयोग तथा वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैविक संसाधनों और/ या संबंधित ज्ञान से अभिगम के लिए अनुमोदन मॉगते हुए, अनुसंधान परिणामों के अंतरण, भारत से प्राप्त जैविक संसाधनों पर अनुसंधान या सूचना पर आधारित आविष्कार के लिए बौद्धिक संपत्ति अधिकार प्राप्त करने के लिए तथा तृतीय पक्ष को अभिगमित जैविक संसाधनों के अंतरण हेतु एनबीए द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र का विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा और प्राधिकरण द्वारा विचार हेतु उचित सिफारिश दिया जाएगा।

वर्ष 2014–15 के दौरान,अभिगम तथा लाभ आबंटन पर लगभग 200 आवेदनों को मूल्यांकन करने हेतु, समिति का चार बैठक आयोजित किया गया था जैसे जुलाई 2014 के दौरान 28वॉ बैठक, सितंबर 2014 के दौरान 29वॉ बैठक, नवंबर 2014 के दौरान 30वॉ बैठक, मार्च 2015 के दौरान 31वॉ बैठक और प्राधिकरण को उसका सिफारिश प्रदान किया गया। इसके अलावा, विशेषज्ञ समिति ने जैविक संसाधनों से अभिगम तथा ऐसे जैविक संसाधनों के उपयोग में से उत्पन्न होनेवाले लाभों के आबंटन संबंधित विभिन्न आनुवंशिक समस्याओं पर तकनो–कानूनी इनपुट प्रदान किया।

2.2.6 वर्तमान समझौते प्रारूपों को पुनरीक्षण करने के लिए विशेषज्ञ समिति

32वॉ प्राधिकरण बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में, जैविक संसाधन तथा संबंधित ज्ञान, लाभ आबंटन नियंत्रण 2014 से अभिगम पर मार्गदर्शिकाओं की अधिसूचना जैसे हालही के विकास के संदर्भ मे तथा अक्तूबर 12, 2014 को एबीएस पर नगोया प्रोटाकॉल के प्रवेश पर, वर्तमान समझौते प्रारूपों को पुनरीक्षण करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया।

डॉ आर.एस. राणा की अध्यक्षता के अधीन एनबीए, चेन्नई में मार्च 11, 2015 को विशेषज्ञ समिति का प्रथम बैठक आयोजित किया गया था। ईसी की अध्यक्ष के साथ परामर्श में, सचिवालय ने पूर्व में ईसी द्वारा अंतिम रूप दिये गये नमूना तथा वर्तमान में उपलब्ध समझौताओं में उपलब्ध मुख्य विषयों को सन्निहित करते हुए एकमात्र प्रारूप विकसित किया । इसपर विचार विमर्श हुई और बैठक में उसे ठीक किया गया। ऐसे निर्णय लिया गया कि अनुवर्ती बैठकों में और भी पुनरीक्षण करने की जरूरत है।

2.2.7 सामान्य तौर पर व्यापार किये जानेवाले सामग्रियों (एनटीसी) पर विशेषज्ञ समिति

जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 40, एनबीए के साथ परामर्श में, केन्द्र सरकार को सामान्य तौर पर व्यापार किये जानेवाले सामग्रियॉ, जिसमें जैविक संसाधान सम्मिलित होंगे, का सरकारी राजपत्र में अधिसूचित करते हुए परिधि से निकालने का अधिकार प्रदान करता है।

अगस्त 28, 2004 को आयोजित बैठक के अजेन्डा के जरिये प्राधिकरण की 28वें बैठक में लिये गये निर्णय पर आधारित करके, सामान्य तौर पर व्यापार किये जानेवाले सामगियॉ (एनटीसी पर ईसी) का पुनःगठन, एनटीसीयों की सूची को विस्तार करने के लिए अध्यादेश के साथ, श्री डी.के.वेद, आईएफएस (सेवा निवृत्त), सलाहकार, एफआरएलएचटी की अध्यक्षता के अधीन किया गया। (एफ. एनबीए/2/9/2002–प्रशासन/12/12–14/2014, ता मार्च 11, 2014) के तहत चौथे ईसी का पुनःगठन किया।) इसे विचार तथा अनुमोदन हेतु प्राधिकरण के सामने पेश करना है।

इसके अनुसार, एनटीसी पर पुनःगठित ईसी का बैठक, कृषिक सेक्टॉर, आयुर्वेदिक औषधि उत्पादक संघ (एडीएमए), कृषिक व प्रक्रियाकृत खाद्य सामग्री निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) तथा पंजाब कृषिक विश्वविद्यालय (पीएयू) द्वारा सुझावित/प्रस्तावित सामान्य तौर पर व्यापार किये जानेवाले प्रवर्ग/जैविक संसाधन/ मदों पर विचार करने, चेन्नई में मई 26–27, 2014 को, हैदराबाद में नवंबर 13 को, नई दिल्ली में मार्च 16, 2015 को तथा एक विशेष बैठक चेन्नई में दिसंबर 29, 2014 को आयोजित किया गया।

साथ साथ एनटीसी पर ईसी के बैठकों में 'डेवलेप्मेंट ऑफ ए ट्रेड डाटाबेस ऑन इंडयन बयोरिसोसर्स यूटिलाइजिंग कस्टम्स अण्ड पोर्ट डाटा, कोडिंग ऑफ ट्रेडेड बयोरिसोसर्सस अण्ड स्टेन्डडाइजेशन ऑफ नामेनक्लेचर ' शीर्षक एनबीए द्वारा अध्ययन का पुनर्विलोकन किया। इस अध्ययन अकादमी ऑफ बिसिनस स्टडीज(एबीएस), नई दिल्ली द्वारा अपनाया गया है।

2.3 मुख्य विशेषज्ञ दल (सीईजी)

28वॉ प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण के अन्दर से सदस्य सम्मिलित मुख्य विशेषज्ञ समिति (सीईजी) का गठन किया गया। एबीएस पर विशषज्ञ समिति के 22 से 27वें बैठक की सिफारिशों को परीक्षण करने के लिए नई दिल्ली में मई 7 से 9, 2014 तक सीईजी बैठक आयोजित किया गया था। एबीएस आवेदन पत्रों पर सीईजी ने सिफारिशें किया और इसका मई 15, 2014 को आयोजित 29वॉ बैठक में प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया।

2.3.1 अभिगम तथा लाभ आबंटन पर नमूना मार्गदर्शिकाओं को ठीक करने के लिए मुख्य विशेष दल का बैठक

28वें प्राधिकरण द्वारा डॉ आर. राणा की अध्यक्षता के अधीन गठित मुख्य विशेषज्ञ दल (सीईजी–1) ने राज्य जैवविविधता बोर्ड/ सदस्य/जनता द्वारा पेश किये गये सुझाव/ टिप्पणी का अवलोकन किया ताकि नमूना एबीएस मार्गदर्शिकाओं को विकसित करने के लिए उचित तौर पर टिप्पणियों को सम्मिलित कर सकें। इसके अनुसार, नई दिल्ली में अप्रेल 15 तथा 16, 2014 को सीईजी–1 बैठक का आयोजन किया गया और एबीएस पर नमूना मार्गदर्शिकाओं को विकसित किया गया। इसके बाद, 29वें प्राधिकरण बैठक में एबीएस पर नमूना मार्गदर्शिकाओं पर विचार किया गया, जिन्होंने, एबीएलई तथा सीआईआई द्वारा पेश किये गये सुझाव/ टिप्पणियों को तथा अन्य समस्याओं को परीक्षण करने व सम्मिलित करने के लिए श्री जितेन्द्र शर्मा, आईएफएस, सीईओ, एनएमपीबी की अध्यक्षता के अधीन और एक मुख्य विशेषज्ञ दल (सीईजी–2) का गठन किया। इसके अनुसार, सीईजी–2 का बैठक जुलाई 5, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया और नमूना मार्गदर्शिकाओं का पुनरीक्षण किया गया।

2.3.2 अभिगम तथा लाभ आबंटन पर नगोया प्रोटोकॉल को कार्यान्वयन करने के लिए नमूना अधिसूचना/ आदेशों को ठीक करने के लिए मुख्य विशेषज्ञ दल का बैठक

प्राधिकरण के 29वें बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार, एबीएस पर नगोया प्रोटोकॉल को कार्यान्वयन करने के लिए नमूना अधिसूचना/ नियंत्रणों/ आदेशों को ठीक करने के लिए डॉ आर.एस. राणा की अध्यक्षता के अधीन मुख्य विशषज्ञ दल (सीईजी–1) का गठन किया गया। नई दिल्ली में जून 27, 2014 को तथा दिसंबर 8, 2014 को दो बार सीईजी का बैठक आयोजित था और उसमें दो नमूना आदेश/ अधिसूचनाओं पर जैसे जॉच बिन्दुओं तथा उपयोगकर्ता देश कदम (यूसीएम) को नामोदिष्ट करना व धारा 3 और 4 के अतिरिक्त बीडी अधिनियम की धारा 6 से आईटीपीजीएफआरए के अनुलग्न–1 फसल को छूट देने के लिए डीएसी से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया और आगे प्राधिकरण को सिफारिश पेश किया।

2.3.3 नामोदिष्ट कोष पर मुख्य विशेषज्ञ दल का बैठक

32वी प्राधिकरण द्वारा गठित मुख्य विशेषज्ञ दल (सीईजी) का बैठक मार्च 12, 2015 को एनबीए, चेन्नई में जैविक विविधता अधिनियम की धारा 39 के अधीन नामोदिष्ट वर्तमान राष्ट्रीय कोशों के चालनचलन को पुनरीक्षण करने के लिए तथा कोषों के लिए कार्यकारी मार्गदर्शिकाओं कि विकसित करने के लिए आयोजित किया गया था। समिति के सदस्यों से इनपुट के साथ नमूना मार्गदर्शिकाओं केलिए अंतिम रूप देने का निर्णय लिया गया।

3. अभिगम व लाभ आबंटन (एबीएस)

''जैविक संसाधनों का परिरक्षण, उसके भागों का संधारणीय उपयोग तथा उसके उपयोग से प्राप्त लाभों का न्यायसंगत आबंटन '' जैविक विविधता अधिनियम, 2002 तथा जैविक विविधता नियम 2014 का उददेश्य है। इसके अनुसार, अनुसंधान हेतु जैविक संसाधनों और/या संबंधित ज्ञान से अभिगम, जैव–सर्वेक्षण और जैव–उपयोग, वाणिज्यक उपयोग, बौद्धिक सपंत्ति अधिकार प्राप्ति, अनुसंधान परिणामों का अंतरण और अभिगमित जैविक संसाधनों के अंतरण संबंधित गतिविधियों को नियंत्रण करने का अध्यादेश राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण को प्राप्त है। एनबीए द्वारा विभिन्न आवेदकों से आवेदन प्राप्त किया जाता है जैसे गैर भारतीय व्यक्ति या भारतीय या भारतीय एन्टाईटी जिनका विदेशी शेयर पूँजी या प्रबंधन हो से और इनका इसके लिए गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा परीक्षण किया जाता है। आवेदन पत्रों से संबंधित विस्तार विवरण निम्न है :

एबीएस आवेदनों का वर्ग

प्रारूप सं	आवेदन का आशय	किसके द्वारा
I	अनुसंधान, वाणिज्यिक उपयोग, जैव सर्वेक्षण या जैव–उपयोग हेतु जैविक संसाधन और/या सबंधित परंपरागत ज्ञान से अभिगम	गैर–भारतीय, एनआरआई, शेयर पूँजी या प्रबंधन में गैर–भारतीय की सहभागिता वाले भारतीय एन्टाइटी
II	अनुसंधान परिणामों का अंतरण	किसी भारतीय/ गैर–भारतीय या किसी गैर भारतीय का एन्टाइटी, एनआरआई, विदेशी एन्टाइटी या भारतीय एन्टाइटी जिनका शेयर पूँजी या प्रबंधन में गैर–भारतीय सहभागिता हो।
III	बौद्धिक संपत्ति अधिकार के लिए आवेदन करना	किसी भारतीय/ गैर–भारतीय या भारतीय जिनका गैर–भारतीय प्रतिभागिता शेयर पूँजी या प्रबंधन एन्टाइटी हो।
IV	पहले ही अभिगमित जैविक संसाधन/ ज्ञान का तृतीय दल को अंतरण	किसी भी व्यक्ति, जिन्होंने भारतीय/ गैर–भारतीय या एन्टाईटियों के लिए प्रारूप 1, 2 या 3 में एनबीए से अनुमोदन प्राप्त किया हो।

Schematic Presentation of Processing of Applications under Biological Diversity Act, 2002 and Rules 2004

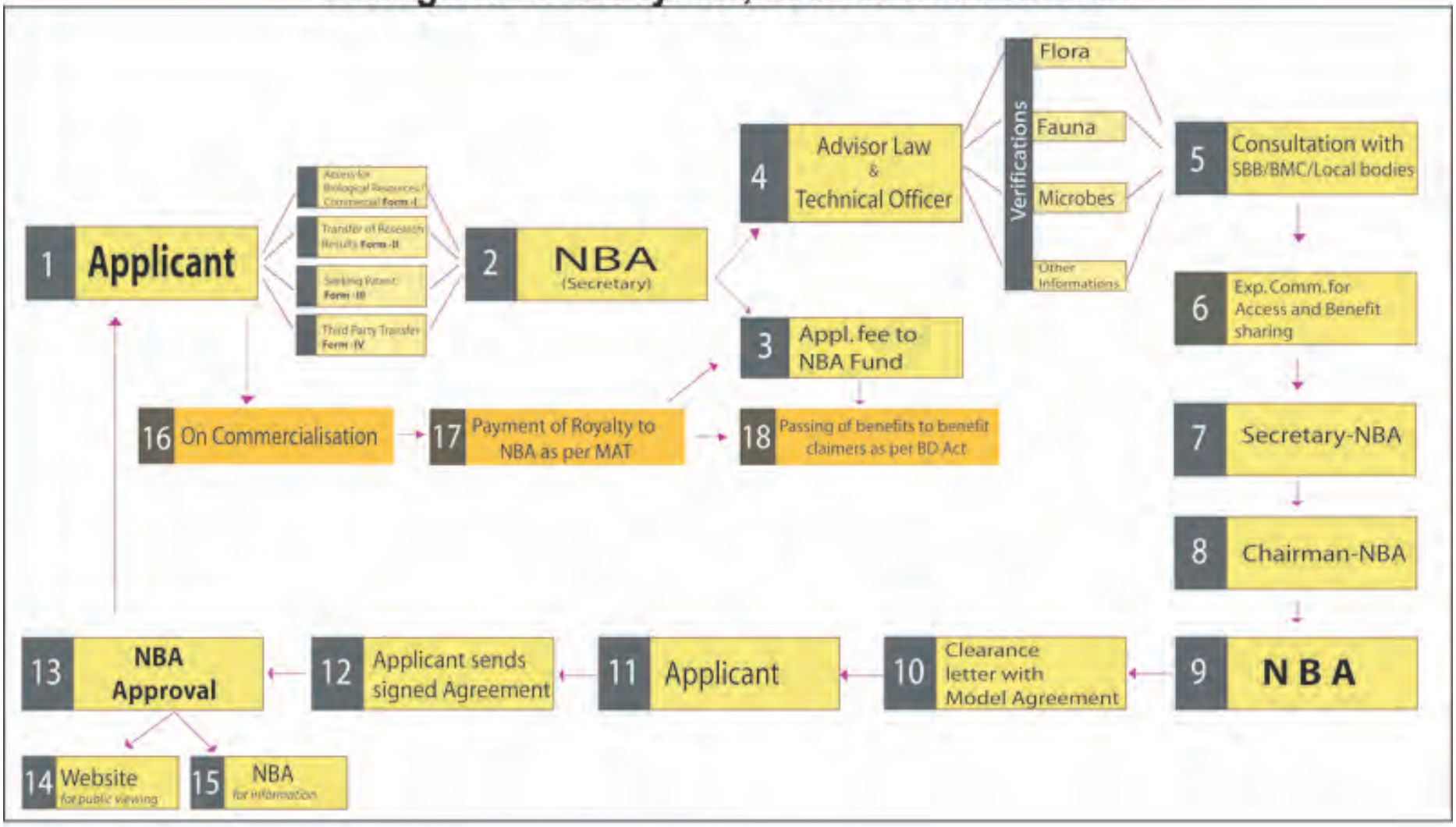

* For details please go through Biological Diversity Act, 2002 & Rules, 2004

उसके स्थापन से, विभिन्न हितधारकों से आवेदनों की प्राप्ति

प्रारूप	वर्ग	2004 से प्राप्त आवेदनों की संख्या
प्रारूप 1	अनुसंधान / वाणिज्यिक उपयोग / जैव सर्वेक्षण और जैव–उपयोग हेतु जैविक संसाधन और / या सबंधित परंपरागत ज्ञान से अभिगम	184
प्रारूप II	आर्थिक विचार या अन्यता के लिए अनुसंधान परिणामों का अंतरण	40
प्रारूप III	बौद्धिक संपत्ति अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अनापत्ति पत्र मॉगना	674
प्रारूप IV	अभिगमित जैविक संसाधनों और / या संबंधित ज्ञान का तृतीय दल को अंतरण	78
प्रारूप B	जैविक संसाधनों को उपयोग करनेवाले भारतीय अनुसंधाता / सरकारी संस्थानो द्वारा भारत के बाहर आपातकालिक आशय हेतु गैर–वाणिज्यिक अनुसंधान या अनुसंधान का आयोजन	1
	निर्धारित प्रारूप और शुल्क के साथ अनावेदित	13
	कुल	**990**

2014–15 के दौरान, 206 आवेदन पत्र प्राप्त किया गया। 113 आवेदन पत्रों को (जिसमें पिछले वर्श के दौरान प्राप्त आवेदन पत्र शामिल है) को सभी विषयों में पूर्ण पाया गया और इसलिए प्रक्रियाकरण के लिए लिया गया। आवेदनों के प्रक्रियाकरण स्तरों में निम्न कदम सम्मिलित है आवेदनों का वर्तमान सतर निम्न है :–

एबीएस आवेदन, जिसमें पिछले वर्ष आवेदन पत्र भी सम्मिलित है का प्रक्रियाकरण स्तर

	वर्ष 2014–15 के दौरान प्राप्त	निष्पादन हेतु आवेदक को अग्रेषित नमूना समझौता	प्रक्रिया के अधीन	आवेदक के साथ समझौता में प्रवेश करते हुए प्रदान किये गये अनुमोदन	समाप्ति / निकासी
प्रारूप I	32	34	16	19	7
प्रारूप II	4	1	4	0	1
प्रारूप III	74	88	60	22	7
प्रारूप IV	2	0	2	1	6
प्रारूप B	1	0	1	0	0
कुल	**113**	**123**	**83**	**42**	**21**

3-1 प्राप्त लाभ आबंटन

इस अवधि के दौरान, पेटेन्ट वाहक से लाभ आबंटन के रूप में प्राप्त रु.2301 के अलावा, 15 सफलतापूर्वक खरीददारों से लाल सेन्डर लकडी से अभिगम पर नीलामी दाम पर 5 प्रतिशत लाभ आबंटन के रूप में 15.49 करोड एनबीए द्वारा वसूला गया है।

लाल सेन्डर्स के जरिये पर्याप्त रकम वसूली को ध्यान में रखते हुए, लाल सेन्डर्स परिरक्षण, संधारणीय उपयोग तथा लाभों का उचित व न्यायसंगत आबंटन हेतु व्यापक नीति को विकसित करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने के लिए 28वॉ प्राधिकरण बैठक में निर्णय लिया गया।

3-2 बीडी अधिनियम के प्रावधानों के साथ अनुपालन में लाल सेन्डर्स लकडी से अभिगम

अक्तूबर 24, 2013 की अधिसूचना के जरिये विदेशी व्यापार महानिदेशक ने लाल सेन्डर्स के लिए निर्यात नीति को शिथिल किया और आन्ध्र प्रदेश सरकार (8584.1363 मेट्रिक टन) और राजस्व इन्टलिजेन्स निदेशालय (1200 मेट्रिक टन) कुल 9784.1363 मेट्रिक टन जब्त किये गये लाल सेन्डर्स को कुन्दा के रूप में निर्यात करने के लिए अनुमति प्रदान किया।

जब्त किये गये लाल सेन्डर्स लकडी के प्रस्तावित निर्यात पर एबीएस मेकनिसम पर अंतिम निर्णय लेने के लिए, पीसीसीएफ, आन्ध्र प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु के वन विभाग तथा राज्य जैवविविधता बोर्डों से अन्य प्रतिनिधियों के साथ जनवरी 22, 2014 को एनबीए, चेन्नई में बैठक आयोजित किया गया। उसका उच्च मूल्य तथा इस जैवसंसाधन इस देश का प्रभुत्व प्राप्त संपत्ति है इस तथ्य पर विचार करते हुए, निर्यात के लिए नीलाम किये जानेवाले लाल सेन्डर्स लकडी के लिए उचित एबीएस भाग पर पहुँचने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। बैठक में, एनबीए ने सूचित किया कि सफल बोली लगानेवाले / नीलामीकार द्वारा नीलामी रकम का 5 प्रतिशत, जैसे प्रकरण हो, एनबीए / एसबीबी को लाभ आबंटन के रूप में निश्चित किया जाए।

इस विषय को 28वॉ प्राधिकरण के सामने पेश किया गया, जिसने निर्णय लिया कि लाल सेन्डर्स लकडी, जो भारत का स्थानिक है और विभिन्न कारणों से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसका उच्च मॉग है एक उच्च मूल्यवान जैवसंसाधन है और और उसे विध्वंश होने से सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है, क्योंकि महत्वपूर्ण लकडी का तस्करी खतरनाक तथा विकसित ट्रेंड दिखा रहा है और उसका दूरगामी नतीजा हो सकता है, इसलिए एनबीए द्वारा इस लुप्तप्राय और खतरे में पड़े प्रजाति के परिरक्षण के लिए प्रभावी कदम लिया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण आगे निर्णय लिया कि जैसे कि लाभ आबंटन के जरिये पर्याप्त रकम प्राप्त किया जाएगा, उसे परिरक्षण कार्यों के

लिए उपयोग किया जा सकता है और इस कारण से सफल नीमामकारों से, लाल सेन्डर्स नीलामी दाम पर लाभ आबंटन भाग के रूप में 5 प्रतिशत आरोपित करने में पूर्ण रूप से न्यायोचित है, जो बीडी अधिनियम तथा नियमों/ राज्य जैवविविधता बोर्डों में निर्धारित प्रारूप में पूर्ति करने के बाद जैसे प्रकरण हो, नीलामी रकम (कर तथा अन्य सरकारी देयों को छोडकर) के 5 प्रतिशत लाभ आबंटन भाग एनबीए/एसबीबी को, क्षेत्र से लाल सेन्डर्स ले जाने के पहले जमा करेंगे। इसके अनुसार, 16 सफल विदेशी खरीददारों ने एनबीए से आवेदन किया है और रु.15.49 करोड लाभ आबंटन अंश को जमा किया है।.

जैविक संसाधनों तथा संबंधित ज्ञान से अभिगम और लाभ आबंटन नियंत्रण, 2014 पर मार्गदर्शिकाओं का अधिसूचीकरण

जैविक विविधता अधिनियम 2002 का अध्यादेश है कि जैविक संसाधनों से अभिगम के लिए अनुमोदन को, प्रदाय के साथ उनके उपयोग में से उठनेवाले लाभों का उचित तथा न्यायसंगत आबंटन सुनिश्चित करना है। अधिनियम की धारा 21 केन्द्र सरकार के साथ परामर्श में लाभ आबंटन निर्धारण के लिए मार्गदर्शिकाओं को निर्माण करने के लिए एनबीए को सशक्त करता है। 2005 से, अभिगम के लिए तथा लाभ आबंटन के लिए मार्गदर्शिका विकसित करने के लिए एनबीए और पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) द्वारा विभिन्न हितधारक, सरकारी एजेन्सी, मंत्रालय, राज्य जैवविविधता बोर्ड तथा एक निर्धारित समय में औद्योगिक बॉडीयों के साथ राष्ट्रीय स्तर में गहरे परामर्शदाता सम्मिलित करके ठोस प्रयास अपनाया गया है। एनबीए ने एमआईईएफ और सीसी के अनुमोदन के साथ, जैविक संसाधन तथा संबंधित ज्ञान और लाभ आबंटन नियंत्रण 2014 पर मार्गदर्शिका को भारत के असाधारण राजपत्र में जी.एस.आर 827, नवंबर 21, 2014 के तहत अधिसूचित किया।

3-3 बीडी अधिनियम, 2002 की परिधि से आईटीपीजीआरएफए के अधीन सूचीबद्ध अनुलग्न 1 फसल को छूट देते हुए अधिसूचना

जून 10, 2002 को उक्त अनुबंध को पुष्टि करते हुए तथा हस्ताक्षरित करते हुए, खाद्य तथा कृषि (आईटीपीजीआरएफए) के लिए पौधा आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के लिए भारत एक दल बन गया है। आईटीपीजीआरएफए का उद्देश्य खाद्य और कृषि के लिए पौधे आनुवंशिक संसाधनों का परिरक्षण तथा संधारणीय उपयोग तथा जैविक अधिवेशन के साथ सामंजस्य में, संधारणीय कृषि व खाद्य सुरक्षा के लिए, उनके उपयोग से प्राप्त लाभो का उचित तथा न्यायसंगत आबंटन है। नगोया प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 4 पेश करता है कि इस विशेशकृत यंत्र के उद्देश्य के लिए तथा द्वारा आच्छादित विशिष्ट आनुवंशिक संसाधन के संबंध में विशेषीकृत सत्र के दल या दलों पर लागू नहीं होगी और जैविक विविधता अधिनियम 2002 (2003 का 18) की धारा 40, इस अधिनियम के प्रावधान से कुछ जैविक संसाधनों को छूट प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार को सशक्त करता है।

इसके अनुसार, (एमओईएफ और सीसी) ने एनबीए के साथ परामर्श में अधिसूचना सं.3232 (ई), दिसंबर 17,2014 के तहत, आईटीपीजीआरएफए के अनुलग्नक 1 में सूचीबद्ध में से, समय समय पर, कृशि तथा सहकारिता विभाग (डीएसी), कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसार, अनुसंधान के लिए उपयोग तथा परिरक्षण, कृषि तथा खाद्य के लिए पालन व प्रशिक्षण के लिए जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 3 और 4 के परिदृश्य से फसलों को छूट दिया है।

3-4 एबीएस क्लियरिंग हाउस

अधिवेशन के क्लियरिंग हाउस मेकनिसम (सीएचएम) के अंग के रूप में एबीएस क्लियरिंग हाउस (एबीएस–सीएच) को स्थापित किया गया है। सीएचएम को एक तथा संयुक्त प्लेटफार्म के रूप में विकसित किया गया है जो जैवसुरक्षा पर कारटगेना प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल के समर्पित क्लियरिंग हाउसों को भी समर्थन प्रदान करता है। इस सिंगल प्लेटफार्म सीएचएम के अधीन सभी क्लियरिंग हाउसों को वैश्विक खोज करने के लिए तथा विशिष्ट क्लियरिंग हाउस में विवरण के लिए खोजने के लिए अनुमति प्रदान करेगा।

अगस्त 2014 में एमओईएफ और सीसी ने नगोया प्रोटोकॉल के लिए 'सक्षम राष्ट्रीय प्राधिकरण '' के रूप में राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण को अभिहित किया है। इस मंत्रालय ने सचिव, एबीए को एबीएस–सीएच के लिए 'प्राधिकृत उपयोगकर्ता '' के रूप में अभिहित किया है।

सक्षम राष्ट्रीय प्राधिकरण (सीएनए) के अनुसार, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण, एबीएस पर नगोया प्रोटोकॉल की अनुच्छेद 14 तथा अन्यसंबंधित प्रावधानों के अधीन जिम्मेदारियों को पूर्ति करता है और मुख्यतः एबीएस–सीएच को प्रोटाकॉल की अनुच्छेद 14 में रूपरेखित तरीके से आवश्यक विवरण उपलब्ध कराता है। अब तक, उपयोकर्ता दलों के लिए एबीएस–सीएच वेबसाइट में एनबीए द्वारा 29 दस्तावेजों को हास्ट किया गया है।

एबीएस पर नगोया प्रोटोकॉल की अनुच्छेद 17(2) के अधीन अनुसरण के अंग के रूप में एनबीए, आवेदकों से विवरण प्राप्त करने की प्रक्रिया गोपनीय नहीं है और उन्हें ''अनुसरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र'' प्राप्त करने के लिए एबीएस–सीएच में अपलोड कर सकते हैं, जो इस विषय के लिए गवाह बनेगा कि इससे आच्छादित जैविक संसाधन और/ संबंधित ज्ञान को क्षेत्रीय नियंत्रणों के साथ अनुपालन में अभिगम किया गया है।

4. गतिविधियॉ और उपलब्धियॉ

4.1 हितधारक परामर्शदाता व कार्यशालाएँ

1. नमूना अभिगम तथा लाभ आबंटन मार्गदर्शिकाओं और बीडी अधिनियम पर विचार विनिमय करने के लिए नई दिल्ली में मई 13, 2014 को राज्य जैव विविधता बोर्डों का विशेष बैठक आयोजित किया गया। इस बैठक में 23 एसबीबीयों के प्रतिनिधि,विभिन्न मंत्रालयों के प्राधिकारी सदस्य भाग लिये। विचार विनिमय के दौरान, कुछ संशोधन के साथ एबीएस मार्गदर्शिकाओं को सूचित करने के लिए प्रतिभागिताओं ने सहमति दिया। आगे, जन जैवविविधता पंजी, जैवविविधता प्रबंधन समितियों का निर्माण, संकट में पडे प्रजातियों का सूचीकरण और जैवविविधता विरासत क्षेत्रों की तैयारी पर प्रगति जैसे समस्याओं के बारे में विचार किया गया और आगे बढने के लिए निर्णय लिया गया।

2. श्री हेम पाण्डेय, आई.ए.एस, अपर सचिव, एमओईएफ और सीसी तथा अध्यक्ष एनबीए की अध्यक्षता में एमओईएफ तथा सीसी, नई दिल्ली में सितंबर 17, 2014 को, 200 से अधिक प्रारूप 3 (आईपीआर) पर लाभ आबंटन भाग के तौर–तरीकों को अंतिम रूप देने के लिए राश्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण तथा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के बीच संयुक्त बैठक आयोजित था, जिसमें प्राधिकरण के कुछ सदस्य भी भाग लिये। लाभ आबंटन भाग तथा समझौता में प्रस्तावित परिवर्तन पर विस्तार से विचार विनिमय किया गया। इस बैठक के परिणाम के बारे में 32वॉ प्राधिकरण को बतलाया गया।

3. राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण तथा पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने संयुक्त तौर पर गोआ में अगस्त 4 से 6 2014 के दौरान नगोया प्रोटोकॉल कार्यान्वयन के लिएमुख्य चुनौतियॉ व व्यावहारिक रास्ते पर 2वें एबीएस संवाद आयोजित किया। इस द्वितीय संवाद का उद्देश्य नगोया प्रोटोकॉल की कार्यान्वयन पर हितधारकों और सरकारी प्रतिनिधियों के बीच आगे आदान प्रदान के लिए अवसर प्रदान करना था। द्वितीय संवाद ने 17 विभिन्न देशों से 70 सरकारी प्रतिनिधि (ब्रेजिल, एथियोपिया, केन्या, मलेशिया, मालद्वीप, मेक्सिको,मोगोलिया, मोरोको, नेपाल, नमीबिया, नार्वे, दक्षिण आफ्रिका, श्रीलंका, स्विट्सरलैंड, थायलैंड, वियटनाम तथा भारत) तथा संबंधित हितधारकों तथा जैविक विविधता पर अधिवेशन सचिवालय से प्रतिनिधि ने भाग लिया।

4. डॉ हजिमु मोरियोका, दलीय नेता, आनुवंशिक के लिए राष्ट्रीय संस्थान,, टोक्यो, जापान से अकादमिया के लिए एबीएस टॉस्क फोर्स, ने फरवरी 9, 2015 को एनबीए में दौरा किया। भारत में एबीएस मेकनिसम से संबंधित गतिविधियों पर तथा नगोया प्रोटोकॉल कार्यान्वयन में शामिल रणनीति को समझने पर आदान प्रदान किया।

5. शैक्षिक पर्यटन के अंग के रूप में, 40 प्रोबेशनरी राज्य वन सेवा अधिकारी तथा कृषिक विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड, सिर्सी, कर्नाटक से 51 विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण, चेन्नई में दौरा किया। सचिव, एनबीए ने एनबीए गतिविधियों तथा वन पर विशष संदर्भ के साथ जैवविविधता संबंधित समस्याओं पर अवलोकन प्रस्तुत किया। जन जैवविविधता पंजी की तैयारी में तथा कर्नाटक जैवविविधता बोर्ड के जरिये कर्नाटक राज्य में बीएमसी निर्माण में विद्यार्थियों की भागीदारी का सराहना किया। तकनीकि अधिकारी (बीएस), एनबीएने ''बीडी अधिनियम 2002 का कार्यान्वयन '' पर प्रदर्शन किया जिसके बाद विद्यार्थियों के साथ संवादात्मक प्रश्न व जवाब सत्र आयोजित किया गया।

6. डीजीएफटी, एनबीपीजीआर, एनबीएजीआर, पीपीवीएफआरए, एमओईएफ और सीसी आदि जैसे विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों द्वारा गठित समितियों में एनबीए सक्रिय भाग लिया।

4.2 जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 38 के अधीन पौधे तथा प्राणियों के संकट में पडे प्रजातियों की अधिसूचना

जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 38 के अनुसार, एमआईईएफ और सीसी, भारत सरकार ने संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श में, 16 राज्यों में 2 संघ राज्यों में जैसे बिहार, गोआ, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपूर, मेघालया, मिजोराम, आडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तरखंड, पश्चिम बंगाल, अंदमान और निकोबार द्वीप तथा दामन व डियू तथा लुप्तप्राय स्थिति में पडे प्रजातियों को या भविष्य में लुप्तप्राय होने की स्थिति में पडे प्रजातियों को अधिसूचित किया है। ये अधिसूचनाऍं, अधिसूचित प्रजातियों से अभिगम को नियंत्रित करने के लिए तथा उन प्रजातियों को पुनर्वास दिलाने तथा उन्हें परिरक्षण करने के लिए, राज्य जैवविविधता बोर्ड (एसबीबी) को अधिकार प्रदान करता है।

4.3 जैवविविधता विरासत क्षेत्रों को अधिसूचित करना

वर्ष 2014–15 के दौरान, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अधिसूचना सं.डब्ल्यूएलपी/0914/सी.आर.317/एम–1, जुलाई 15, 2014 के तहत, 'ग्लोरी ऑफ अलापली ' एक आरक्षित वन जिसे जैविक, जातीय तथा ऐतिहासिक मूल्य उपलब्ध प्राकृतिक वन के रूप में संरक्षण किया जा रहा था, को जैवविविधता विरासत क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया और यह महाराष्ट्रा के गडचिरोली जिला में छः हेकटेयर क्षेत्र को आच्छादित करता है।

पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने अधिसूचना सं.717–इर्ध. एन/टी–2/7/003–2/2003 दि मार्च 20, 2015 के तहत, डार्जिलिंग वन संभाग के अधीन, 230 हेक्टेयर आच्छादित तोंगलु चिकित्सीय पौधा परिरक्षण क्षेत्र और 180 हेक्टयर आच्छादित दोत्रे चिकित्सीय पौधा परिरक्षण क्षेत्र, दो क्षेत्रों को जैवविविधता विरासत क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया। पश्चिम बंगाल एसबीबी और वन विभाग के मार्गदर्शन के अधीन, इस अधिसूचना जैवविविधता विरासत क्षेत्र (बीएचएस) समिति नियत्रंणों द्वारा इन क्षेत्रों से पौधा, प्राणी तथा माइक्रोब प्रजातियों के एकत्रण पर भी प्रतिबंध डालता है।

5. एसबीबीयों का कार्यक्रम व गतिविधियॉ

अधिनियम की धारा 22 के अनुसार, सभी 29 राज्यों ने राज्य जैवविविधता बोर्ड स्थापित किया है। बीडी अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को विकसित करने हेतु एसबीबीयों को सुदृढ करने के लिए, एनबीए द्वारा तकनीकि मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान किया जा रहा है। मार्च 31, 2015 को गठित जैवविविधता प्रबंधन समितियों की कुल संख्या 37,769 रहा और दस्तावेजीकृत जन जैविविधता पंजी 2063 रहा।

5.1 राज्य जैवविविधता बोर्डों की गतिविधियॉ

5.1.1. आन्ध्र प्रदेश

वर्ष 2014–15 के दौरान, आन्ध्र प्रदेश एसबीबी का बैठक चार बार आयोजित किया गया था। (मई 23, 2014, सितंबर 30, 2014, दिसंबर 23, 2014 और जनवरी 21, 2015) । 2014–15 के दौरान, लगभग 675 बीएमसीयों का गठन किया गया। (ग्रामीण / पंचायत स्तर में 6755, ब्लाक / तालुक / मंडल स्तर में 17 और मुनिसिपॉलिटी स्तर में 3) जिससे बीएमसीयों की कुल संख्या 928 बन गया है और मार्च 31, 2015 को पीबीआरो की कुल संख्या 38 रहा। बी.डी अधिनियम की धारा 23 (बी) के अधीन 21 आवेदन तथा धारा 24(1) के अधीन 21 आवेदनों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस के प्रक्षेपण के दौरान चौदह सदस्यों को जैवविविधतापरिरक्षण पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। चुने एनजीओ के लिए नवंबर 20,2014 को वाणिज्य योग्य जैवसंसाधनों और पीबीआरों की तैयारी पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बीडी अधिनियम तथा एबीएस प्रावधानों के बारे में जागरूकता निर्माण करने के लिए, बीज कंपनियों, जैवतकनीकि कंपनियों तथा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादकों के साथ केन्द्रीकृत दलीय बैठकें आयोजित था। आन्ध्र प्रदेश के 13 जिलाओं के लिए तथा तेलुगाना के कुछ जिलाओं के

बीएमसीयों के लिए आठ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आन्ध्र प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस तथा अरक्कु घाटी (विशाखपट्टणम जिला) के कृषि–जैवविविधता पर बोशर प्रकाशित तथा वितरित किया गया।

5.1.2. अरुणाचल प्रदेश

अरुणाचल प्रदेश में, अब तक, 43 बीएमसीयों का गठन किया गया है, जिसमें से वर्ष 2014–15 के दौरान ग्रामीण / पंचायत स्तर में 23 बीएमसीयों का गठन किया गया। बीडी अधिनियम की धारा 23 (बी) के अधीन एक आवेदन तथा धारा 24 (1) के अधीन तीन आवेदनों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

स्कूली बच्चों के लिए चित्र प्रतियोगिता आयोजित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। पीबीआरों की तैयारी पर बीएमसीयों के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया। जागरूकता कार्यक्रम के अंग के रूप में, दो पैम्पलेट प्रकाशित किया गया।

5.1.3. असम

2014–15 के दौरान तीन बोर्ड बैठकों का आयोजन किया गया। (मई 6, 2014, सितंबर12, 2014 तथा जनवरी 6, 2015)। ब्लाक / तालुक / मंडल स्तर में 35 बीएमसीयों का गठन किया गया जिससे की राज्य में कुल बीएमसीयों की संख्या प्रतिवेदित वर्श के अंत में 171 हो गया। वर्ष के दौरान दस्तावेजीकृत पीबीआरों की संख्या 6 (जिला स्तर में एक और ब्लाक / आंचलिक स्तर में 5)। धारा 23 (बी) के अधीन एक आवेदन तथा धारा 24 (1) के अधीन 10 अनुसंधान प्रस्तावनों का 2014–15 के दौरान अनुमोदन प्रदान किया गया।

असमीज़ तथा बंगाली भाशाओं में बीएमसी प्रचालनीय टूलकिट और असामीज़ भाषा में पीबीआर प्रारूप का अनुवाद किया गया और वर्ष के दौरान प्रकाशित किया गया। हितधारकों के संवेदीकरण के लिए पॉच संभागीय स्तर कार्यशालाओं का

आयोजन किया गया। मुख्य संस्थाओं के संकायों, अनुसंधान विद्धानों और विद्यार्थियों के लिए जनवरी 6, 2015 को कॉटन कॉलेज में आदान–प्रदान बैठक आयोजित किया गया था।

फरवरी 13, 2015 को बोर्ड द्वारा 'ऋतु परिवर्तन तथा जैवविविधता परिरक्षण ' पर सेमिनार आयोजित किया गया था। फरवरी 10–15 के दौरान खनापरा, गाउहाती में आयोजित 'द्वितीय असम अंतर्राष्ट्रीय अग्रि–बागवानी प्रदर्शन 2015' में बोर्ड भाग लिया। इवेन्ट के दौरान, 'असम लैंड ऑफ रेड रिवर्स अण्ड ब्लू हिल्स '' शीर्षक में अंग्रेजी में ब्रोचर का प्रकाशन व विमोचन बोर्ड द्वारा किया गया। अन्य प्रकाशनो में बुर्हाचपोरी डब्ल्यूएलएस के आईबीडी समारोह के दौरान प्रकाशित 'वंडर आइलैंडबुर्हाचपोरी '' पर अंग्रेजी में एक बुकलेट तथा 'द लैंडवेर द स्टिकल ट्रीय ग्रोस' (असामीज में अनुवाद) शीर्षकवाले मालविका तिवारी द्वारा कहानी पुस्तक का प्रकाशन सम्मिलित है।

5.1.4. छत्तीसगढ़

राज्य जैवविविधता बोर्ड का वर्ष के दौरान पुनःगठन किया गया और जनवरी 23,2015 के दौरान बोर्ड बैठक आयोजित किया गया। इस अवधि के दौरान, 'छत्तीसगढ़ राज्य जैवविविधता नियम 2015 '' नमूना का बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया और उसे आगे कार्यवाही हेतु कानूनी विभाग में भेज दिया गया। वर्ष के दौरान सात पीबीआरों को दस्तावेजीकृत किया गया और मार्च 31, 2015 के दौरान कुल बीएमसीयों की संख्या 27 रहा।

अधिसूचना के लिए चार जैवविविधता विरासत क्षेत्रों को पहचाना गया जैसे कंगर घाटी राष्ट्रीय पार्क, बस्तर में कुतुमसर गुफा, मेराइन फॉसिल पार्क,मनेन्द्रगार्ह, बस्तर के ट्री फनर्स – दक्षिण दंतेवादा वन प्रभाग तथा जगदलपुर में स्ट्रोमटोलाइट। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस मनाया गया। श्री विवेव दंड, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ सरकार द्वारा नये सर्क्यूट हाउस, रायपुर में आयोजित ''जैवविविधता परिरक्षण पर राष्ट्रीय कांफरेन्स '' के रूप में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। विभिन्न स्तरों में राज्य भर में जैवविविधता हफता मनाया गया। वन अधिकारी, विषय पर विशेषज्ञ तथा क्षेत्रीय व्यक्ति इस अवसर पर आयोजित विभिन्न कार्यशालाओं, साइकिल रैली तथा प्राकृतिक कैम्प में भाग लिये। ब्रोचर वितरण के अलावा, अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस को अंकित करनेवाले पोस्टर/ बेनर का रायपुर के कई मुख्य क्षेत्रों में तथा राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शित किया गया। इसके अलावा, चित्र खींचना/ रंगीकरण प्रतियोगिता, लेख प्रतियोगिता तथा विवाद प्रतियोगिताएँ, विभिन्न जिलाओं में विद्यार्थियों के बीच आयोजित किया गया। वन वनस्पति तथा जीव जन्तुओं के बारे में अध्ययन तथा वन जीवों के एक्स–सिटु परिरक्षण के बारे में सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय पार्क/ शरणालय तथा चिड़ियाघर में दौरा आयोजित किया गया। राज्य में आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान अधिकारियों को जैवविविधता परिरक्षण तथा उसके प्रबंधन पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

5.1.5. गोआ।

गोआ एसबीबी ने वर्ष 2014–15 के दौरान गोआ एसबीबीयों का तीन बोर्ड बैठकें जून 25, 2014, सितंबर 24, 2014 तथा दिसंबर 12 , 2014 और पॉच विशेष बोर्ड बैठकें अगस्त 1, 2014, अक्तूबर 9, 2014, नवंबर 28, 2014, फरवरी 18, 2015 तथा मार्च 26, 2015 को आयोजित किया। गॉव/ पंचायत स्तर में वर्ष के दौरान 43 बीएमसीयों का गठन किया गया जिससे राज्य में बीएमसीयों की कुल संख्या 54 बन गया। अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र, गोआ, दोनापॉला में दिसंबर 2, 2014 को ''पहुँच तथा लाभ आबंटन प्रावधानों पर केन्द्रीकरण के साथ जैवविक विविधता अधिनियम तथा नियमों के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने ' पर यूएनईपी–जीईएफ परियोजना तथा एमओईएफ और सीसी परियोजना आयोजित था ।

'द्वीपीय जैवविविधता ' थीम पर एनबीए के समर्थन के साथ गोआ विज्ञान केन्द्र, मिरामर के आडिटोरियम में अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस मनाया गया। चोरेओ द्वीप तथा डॉसलीम अली पक्षी शरणालय में क्षेत्रीय दौरा, फोटोग्राफी, चित्र खींचना, प्रश्न मंत्र तथा लेख जैसे प्रतियोगिताएँ, स्कूली बच्चों तथा सामान्य जन के लिए आयोजित किया गया था ताकि 'द्वीपीय जैवविविधता तथा उसके परिरक्षण '' के बारे में जागरूकता निर्माण कर सकें। मुख्य अतिथि श्रीमती अलिना सलदानहा, माननीय वन और पर्यावरण मंत्री, गोआ सरकार द्वारा ''आईलैंड बयोडाइवर्सिटी ऑफ गोआ – द बयोलॉजिकल ट्रेशर ऑफ चोरेआ और सेइटन्ट जेसिन्टो आइलैंड ' शीर्षकवाले पुस्तक का विमोचन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र, गोआ, बीएमसी सदस्यों के लिए दोनापौला, लाइन विभाग, संस्थान तथा एनजीओ में नवंबर 17–19, 2014 को 'देशीय वनस्पति व जीव, क्षेत्रीय किस्म तथा ब्रीडों का परिरक्षण '' प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

5.1.6. गुजरात

2014–15 के दौरान, बोर्ड का तीन बैठकें आयोजित था।(जून 24, 2014, नवंबर 15, 2014 तथा मार्च 24, 2015) । 1007 बीएमसीयों का गठन किया गया और 52 पीबीआरों को दस्तावेजीकृत किया गया जिससे मार्च 31, 2015 को बीएमसीयों की कुल संख्या 3405 तथा पीबीआरों की कुल संख्या 133 हो

गया। बीडी अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन 4 क्षेत्रों को जैवविविधता विरासत क्षेत्रों के रूप में जैसे पूर्णा–नवसरी द्वीप में मेग्रोव, गण्णेरी खच के द्वीप मेंग्रोव, गलखंड दंग के देशीय आम वन क्षेत्र तथा गोसा–बारा आर्द्रभूमि, पोरबंदर को पहचाना गया।

गुजरात विज्ञान शहर, अहमदाबाद और विज्ञान का गुजरात परिषद, गॉधीनगर के साथ सहयोग में कार्यशालाएँ आयोजित करते हुए जैविक विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। गुजरात के जैवविविधता थीम पर पॉच पेनलों को, जैसे गुजरात में बीडी अधिनियम तथा नियमों का कार्यान्वयन,गुजरात के स्थानिक तथा संकट में पडे पौधे, गुजरात के आर्चिड परिरक्षण और गुजरात का मछली तथा प्राण विविधता – संधारणीय उपयोग, प्रदर्शित करते हुए सातवीं वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल ट्रेड प्रदर्शन में एसबीबी भाग लिया। विशन–2025 दस्तावेज का अंतिम रूप दिया गया और अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को समर्पित किया गया। प्रस्तावितहै कि प्रत्येक वर्ष के विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए निधिप्रदत्त एजेन्सियों से समर्थन मॉगते हुए विशन2025 में प्रस्ताव के आधार पर वार्षिक कार्यकारी योजना तैयार किया जाएगा। वर्ष 2014–15 के दौरान एसबीबी द्वारा नौ जागरूकता कार्यक्रम, यूएनईपी–जीईएफ परियोजना के अधीन 12 कार्यक्रम आयोजित किया गया। परंपरागत ज्ञान आदि पर उद्योग, वन अधिकारी और आयुर्वेदिक फार्मसीयों के साथ कार्यशालाएँ आयोजित किया गया।

5.1.7. हिमाचल प्रदेश

वर्ष 2014–15 के दौरान, 36 बीएमसी (ग्रामीण/पंचायत स्तर में 34 तथा तालुक स्तर में एक और मुनिसिपॉलिटी स्तर में एक) का गठन किया गया और 5 पीबीआरों को दस्तावेजीकृत किया गया जिससे राज्य में बीएमसीयों की कुल संख्या 154 तथा पीबीआर की संख्या 8 हो गया। बीडी अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन तीन आवेदनों को वर्ष के दौरान अनुमोदन प्रदान किया गया। जैवविविधता विरासत क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित करने के लिए पन्द्रह सेक्रेड ग्रोव को पहचाना गया।

शिक्षा विभाग के साथ सहयोग में, गेइटी थियेटर, द मॉल, शिमला में राज्य स्तर समारोह को आयोजित करके बोर्ड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस मनाया गया। मई 20, 2014 के पूर्व घनिष्ठ व कनिष्ठ वर्गों में शिमला शहर के स्कूलों में ''द्वीप जैवविविधता ' थीम पर लेख प्रतियोगिता आयोजित किया गया। मूल्यांकन के बाद, प्रत्येक स्कूल से श्रेश्ठ तीन दर्जों को मई 22, 2014 को पुरस्कार प्रदान करने हेतु जज द्वारा आगे मूल्यांकन किया गया। आईबीडी समारोहों के अंग के रूप में, ''द्वीप जैवविविधता '' थीम पर, विशेषज्ञों तथा मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, एचपी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण के लिए राज्य परिशद के बीच सीधे विचार विमर्श के लिए बोर्ड द्वारा व्यवस्था किया गया जिन्हें दूरदर्शन में सीधे प्रसारण किया गया और ऑल इंडिया रेडिया के लिए प्रसारण किया गया। सीनियर सेकन्डरी स्कूल, हमीरपुर में फरवरवी 5–6 फरवरी 2015 को एसबीबीयों द्वारा बिलासपुर तथा हमीरपुर के 26 पारिस्थितिकी क्लब के लिए जैवविविधता पर मुख्य केन्द्रीकरण के साथ पारिस्थितिकी लेखा परीक्षण कार्यशाला आयोजित किया गया था। जैवविविधता, उसकी मुख्यता, परिरक्षण तथा अभिगम व लाभ आबंटन को समझने पर जोर देने, राज्य के सात विकास ब्लाकों के जैविविधिता हितधारकों के लिए विभिन्न तीरकों में जैविक विविधता अधिनियम 2002 और जैविक विविधता नियम 2004 पर सात एकदिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पीबीआरों की तैयारी के लिए 14 बीएमसीयों के सदस्यों को एक दिवसीय प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

5.1.8. जम्मु व कश्मीर

20.2.2013 तारीख के राज्य सरकारी अधिसूचना द्वारा वर्ष 2013 में जम्मु व कश्मीर राज्य जैवविविधता बोर्ड स्थापित किया गया। एसबीबीयों का प्रथम बैठक अगस्त 13, 2013 को आयोजित किया गया और बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि बीएमसी गठन, पीबीआर दस्तावेजीकरण जैसे जैवविविधता से संबंधित सभी गतिविधियों को जे और के राज्य जैवविविधता नियमों को अधिसूचित करने के बाद अपनाया जाएगा। सरकारी बी.एड कालेज, श्रीनगर में प्रश्नमंच, चित्र खींचना तथा लेख लिखने संबंधित प्रतियोगिताओं के जरिये राज्य में जैवविविधता पर आम जनता के बीच जागरूकता निर्मित करने के लिए मई 22, 2014 को आईबीडी 2014 आयोजित किया गया। इसके अलावा कश्मीर के जैवविविधता को प्रदर्शित करनेवाले पोस्ट तथा 'लडाख का जैवविविधता हॉट स्पॉट ' नामक पुस्तक का विमोचन बोर्ड द्वारा किया गया।

5.1.9. झारखंड

वर्ष 2014–15 के दौरान, झारखंड एसबीबी ने ग्रामीण/पंचायत स्तर में 30 बीएमसीयों का गठन किया, जिससे मार्च 31, 2015 को कुल संख्या 66 बन गया है। मई 25, 2014 को एक बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। दालमा वन्यजीवन शरणालय, जमशेडपुर में अक्तूबर 16, 2014 को ग्रांम पंचायत के मुखिया (प्रमुख) के लिए तथा फरवरी 10, 2015 को अन्य पंचायत

वाहकों के लिए कोडेर्मा ब्लाक, कोडर्मा जिला में कार्यशाला आयोजित किया गया।

5.1.10. कर्नाटक

कर्नाटका जैवविविधता बोर्ड ने अप्रेल 22, 2014, जून 24, 2014, सितंबर 4, 2014, नवंबर 12, 2014, दिसंबर 24, 2014 तथा मार्च 3, 2015 को 6 बोर्ड बैठकें तथा अक्तूबर 25, 2014 (यूएनईपी–जीईएफ–एमओईएफ पर अजेन्डा) और मार्च 25, 2015 (वितरण के जरिये एबीएस पर विशेष एजेन्डा) का दो विशेष बैठकें आयोजित किया गया। वर्ष 2014–15 के दौरान 129 बीएमसीयों का गठन किया गया और 92 पीबीआरों को दस्तावेजीकृत किया गया (ग्रामीण स्तर में 121, तालुक स्तर में 7 और जिला स्तर में 1) जिससे मार्च 31, 2015 को राज्य में बीएमसीयों की संख्या 4636 हो गया और पीबीआरों की संख्या 122 हो गया। बी.डी अधिनियम की धारा 23 (बी) के अधीन 68 आवेदनों को तथा धारा 24 (1) के अधीन 68 आवेदनों को अनुमोदन प्रदान किया गया। 27.3.2015 को एबीएस पर ओ.एम. जारी किया गया जिसमें जैव संसाधनों के साथ व्यवहार करनेवाले व्यापारी तथा उत्पादकों पर लाभ आबंटन जिम्मेदारियों का दर निर्धारित किया गया था।

मंगलूर और कारवार में द्वीप जैवविविधता पर मई 22, 2014 को अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस मनाया गया। द्वीप जैवविविधता को समझने के लिए स्कूली बच्चों तथा हितधारकों के लिए द्वीप पर दौरा आयोजित किया गया। द्वीप जैवविविधता पर ब्रोचर प्रकाशित किया गया। कर्नाटक जैवविविधता बोर्ड (वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग) ने 'भविष्य के लिए आर्द्रभूमि' थीम के साथ फरवरी 2 ,2015 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस समारोह को चिन्हित करने के लिए संकी झी लवन अतिथि गृह में चित्र खींचने संबंधित प्रतियोगिता आयोजित किया, जहॉ आर्द्रभूमि तथा उससे संबंधित वनस्पति व जन जीवन को परिरक्षण करने की आवश्यकता के बारे में बच्चों के बीच जागरूकता निर्माण किया गया, जिसके बाद उन्हें अपने विविध कल्पनाओं को रंगीन चित्रों के जरिये अभिव्यक्त करने दिया गया। राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण ने भारत में विभिन्न राज्यों के जैवविविधता बोर्डों के बीच, तकनीकि अधिकारी, शैक्षिकविद् आदि का सहकर्मी से सहकर्मी आदान प्रदान प्रारंभ किया। वर्ष 2014–15 के दौरान विभिन्न बोर्डों के कर्मचारियों के बीच वार्तालाप का सीरीज आयोजित किया गया जो कर्नाटक जैवविविधता बोर्ड से विभिन्न राज्यों में जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्रा तथा एम.पी से कर्मियों के दौरा के साथ समाप्त हो गया था। सितंबर 23 से 29, 2014 तक पॉच दिनों के लिए प्रथम दल ने राजस्थान तथा गुजरात में दौरा किया और द्वितीय दल नवंबर 9 से 15 तक मध्यप्रदेश और महाराश्ट्रा में दौरा किया। इस दल में राज्य के विभिन्न जगहों से शैक्षिकविद शामिल थे, जों पहले ही वर्तमान पीबीआर तैयारी कार्यक्रमों में शामिल थे और पूर्व में ही बोर्ड गतिविधियों के साथ परिचित थे। ।

मार्च 13, 2015 को यूएनईपी–एमओईएफ–एबीएस परियोजना का उद्घाटन वन, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण के लिए माननीय मंत्री द्वारा किया गया जिसमें विभागीय अधिकारी अध्यक्षासण किये। इस इवेन्ट में वेब आधारित साफ्टवेयर – जैवविविधता अटलास का उद्घाटन शामिल था जिसके बाद केबीबी द्वारा प्रकाशित पुस्तक का विमोचन किया गया। वर्ष 2014–15 के दौरान,,,सामूहिक आउटरीच प्लेटफार्म निर्माण करने के लिए प्रयत्न किया गया था, जिसमें त्रैमासिक न्यूजलेटर, ब्लाग स्पॉट का निर्माण तथा फेसबुक पर प्राकृतिक प्रेमीयों से संपर्क करना, बीएमसी प्रचालन टूलकिट का अनुवाद शामिल था। एमओईएफ और सीसी विज्ञान एक्स्प्रेस रेल (जैवविविधता विशेश) आदि में भारत के पारिस्थितिकीय प्रणाली का जीव (मेंग्रोव), बीडी अधिनियम 2002 के अधीन एबीएस मेकनिसम, एबीएस शब्दावली और एलबीएफ – कन्नडा में एक सामूहिक वाद, कर्नाटका जैवविविधता अटलास का पोस्टर प्रदर्शन।

5.1.11. केरला

वर्ष 2014–15 के दौरान मई 3, 2014, अगस्त 20, 2014, मार्च 28,2015 के दौरान केरला जैवविविधता बोर्ड का तीन बैठक आयोजित किया गया था। जैवविविधता विरासत क्षेत्र के रूप में अधिसूचना के लिए तीन क्षेत्रों को पहचाना गया जैसे त्रिसूर में कलसमाला, पथिरामालट आलपुळा, और कोल्लम में आश्रमम मेंग्रोव। राज्य में बीएमसीयों की कुल संख्या मार्च 31, 2015 को 1043 रहा (पंचायत स्तर में 978,मुनिसिपल स्तर में 60 तथा कार्पोरेशन स्तर में 5) । 162 पीबीआरों को दस्तावेजीकृत किया गया जिससे वर्ष के अंत में पीबीआरों की कुल संख्या 758 ओ गया। एसबीबी द्वारा दो डाकुमेन्टरी फिल्म, ब्रोचवर प्रकाशित किया गया और जैवविविधता परिरक्षण –भविष्य के लिए चुनौतियॉ पर पुस्तक भी प्रकाशित किया गया (ई–पुस्तक) (सेपादन : लालादास के.पी, ऊमन वी, ऊमन और सुधाकरण पी आर)

मई 22, 2014 को जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर समारोह इंस्टिट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स हॉल, तिरुवनन्तपुरम में आयोजित था। उसका उद्घाटन श्री ओमन

चांडी, माननीय मुख्य मंत्री, केरल द्वारा किया गया और इसका अध्यक्षासन श्री तिरुवानचूर राधाकृष्णन, पर्यावरण व वन का माननीय मंत्री ने किया। समारोह के संबंध में, केएसबीबी द्वारा आम जनता तथा स्कूली बच्चों के लिए विभिन्न कार्य क्रमों। का आयोजन किया गया। फोटोग्राफी प्रतियोगिता, लघु फिल्म प्रतियोगिता, प्रदर्शन आदि जैसे कार्यक्रम आयोजित किया गया जो हमारे देश की जैविक, सांस्कृतिक तथा परिस्थितिकीय विरासत की संवृद्धि के बारे में, जैवविविधता की परिरक्षण की आवश्यकता तथा उससे प्रदत्त पारिस्थितिकीय सेवाओं के बारे में जागरूकता निर्माण करने में सहायता किया। दो वर्गो में'विविध प्रकृति''तथा ''जैवविविधताः– हमारे पैतृकता, हमारा धन' ग्रीन इमेजस 2014 थीम पर डिजिटल शौकिया फोटोग्राफी प्रतियोगिता आयोजित किया गया 1. 10 से 18 वर्ष उम्र 2. 18 वर्ष तथा उससे अधिक। बच्चों को शामिल करके इस प्रतियोगिता के लिए अत्यधिक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। ग्रीन इमेजस 2014 ने पहाड से समुद्री जैवविविधता तक प्रकृति की विविधता प्रदर्शित की। शौकिया लघु फिल्म प्रतियोगिता 'ग्रीन स्निपेट 2014'' का आयोजन 'जीवन, जैवविविधता तथा मनुष्य ' थीम पर आयोजित किया गया था।

5.1.12. मध्य प्रदेश

वर्श 2014–15 के दौरान मार्च 30, 2015 को ममध्य प्रदेश एसबीबी द्वारा एक बोर्ड बैठक आयोजित किया गया। वर्श 2014–15 के दौरान, राज्य में बीएमसीयों की संख्या 23,743 था (ग्रामीण / पंचायत स्तर में 23043, ब्लाक / तालुक / मंडल स्तर में 313, मुनिसिपॉलिटी स्तर में 337 तथा जिलापरिशद / पंचायत स्तर में 50)। वर्ष 2014–15 के दौरान 104 पीबीआरों के दस्तावेजीकरण के साथ, पीबीआरों की कुल संख्या उस वर्ष के अंत में 704 रहा। चिकित्सीय पौधे तथा वनस्पति तथा जीव जैवविविधता में संवृद्ध होने के क कारण से क्योति (रेवा) तथा जटशंकर (चतनपुर) को जैवविविधता विरासत क्षेत्र के रूप में घोषित करने उपयुक्त पाया गया और रेवा में क्योति फॉल्स को भी उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा वर्तमान सांस्कृतिक व वानस्पतिक जैवविविधता के कारण से जैवविविधता विरासत क्षेत्र के रूप में पहचाना गया। बोर्ड द्वारा प्रशिक्षित मास्टर प्रशिक्षक / एनजीओ के जरिये 40 जिलाओं में बीएमसीयों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम अपनाया गया। गणतंत्र दिवस समारोह 2015 के दौरान लाल परेड ग्राउंड, भोपाल में एक चित्रमय तस्वीर का प्रदर्शन किया गया। वन अधिकारियों की संवेदीकरण के लिए कार्यशाला तथा जैवविविधता पर फोटोग्राफी प्रतियोगिता भी आयोजित था।

2014–15 के दौरान, एसबीबी द्वारा निम्न बुकलेट / फिल्म / ब्रोचर का प्रकाशन / विमोचन आयोजित था

- बच्चों के बीच जागरूकता उत्पादन करने तथा मौग्ली उत्सव 2014 में वितरण हेतु 'मौग्ली '' के ऐतिहासिक पष्ठभूमि पर एक बुकलेट
- मौग्ली बाल उत्सव 2014 पर विशेषांक
- मध्यप्रदेश के पक्षियों पर एक पुस्तक 'पियु, एक रेपॉसिटरी ऑफ बर्डस ऑफ महाराष्ट्रा ''
- सतना जिला में धान परिरक्षण पहलु पर डाक्युमेन्टरी फिल्म और बच्चों के बीच जागरूकता निर्माण करने के लिए एक फिल्म्म
- जैवविविधता प्रबंधन समितियों के लिए बुकलेट
- बी.डी अधिनियम 2002 के प्रावधानों और नियम तथा शर्तो पर ब्रोचर
- पचमारी तथा अमरकन्टक के जैवविविधता पर बुकलेट

5.1.13. महाराष्ट्रा

एसबीबीयों का चार बैठक वर्ष 2014–15 के दौरान आयोजित था। (मई 22, 2014, जुलाई 15, 2014, अगस्त 13, 2014 तथा फरवरी 24, 2015)। वर्ष के दौरान 302 बीएमसीयों का गठन किया गया (ग्रामीण स्तर में 295, तालुक स्तर में 4 तथा मुनिसिपॉलिटी स्तर में 3) और एक पीबीआर को दस्तावेजीकृत किया गया जिससे राज्य में कुल बीएमसीयों की संख्या 890 हो गया है। गडचिरोली जिला में 'ग्लोरी ऑफ आलपल्ली ' को महाराष्ट्र में प्रथम जैवविविधता विरासत क्षेत्र के रूप में जैविक विविधता अधिनियम,2002 के अधीन, अधिसूचना सं. डब्ल्यूएलपी / 0914 / सीआर.317 / एम–1, दि 13.7.2014 के अधीन अधिसूचित किया गया, जो क्षेत्रीय बॉडियों के साथ परामर्श में जैवविविधता विरासत क्षेत्रों (बीएचएस) के रूप जैवविविधता प्रमुखवाले जगहों को अधिसूचित करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करता है। जैवविविधता विरासत क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित करने के लिए और आठ क्षेत्रों को पहचाना गया है।

वर्ष 2014–15 के दौरान, धारा 24 (1) के अधीन 74 आवेदनों का अनुमोदन प्रदान किया गया और 29 आवेदन पत्र प्रक्रियाधीन है। धारा 3 के अधीन पॉच आवेदन और धारा 6 के अधीन दस आवेदन, जिन्हें एनबीए को अग्रेशित किया गया का निपटान किया गया।

वर्ष 2014–15 के दौरान महाराष्ट्रा एसबीबी द्वारा निम्न पुस्तक / ब्रोचर का प्रकाशन किया गयाः

i. डॉ एराच भरुचा, पूर्व अध्यक्ष,एमएसबीबी द्वारा लिखित 'महाराष्ट्रा में जैवविविधता '' पर बुकलेट तथा ''महाराष्ट्रा के संकट में पडे पक्षी '' (अंग्रेजी) पर बुकलेट

ii. ''हमारे जैवविविधता... हमारे कोश ''(मराठी), ''स्पाइड वर्ल्ड ''(मराठी), ''हमारे जैवविविधता को समझ लेंगे ..... ड्रेगन फलाई व डेस्फलाई.. किसान का मित्र ... ''(मराठी व अंग्रेजी), ''महाराष्ट्रा में चुल्ला का विकास करना '' (मराठी) और '' प्रत्येक घर में सोलॉर कुकर का उपयोग '' (मराठी) ब्रोचर

होटल रेडिसन ब्लू, नागपुर में राज्य स्तर कार्यक्रम आयोजित करते हुए मई 22, 2014 को जैविक विविधता 2014 के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। क्षेत्रीय मीडिया के जरिये विज्ञापन तथा प्रेस कांफरेन्स आयोजित करते हुए गहरा प्रचार किया गया। श्री प्रवीण परदेशी, मुख्य सचिव (वन) मुख्य अतिथि रहा। श्री इराच भरुचा, अध्यक्ष, एमएसबीबी ने बी डी अधिनियम 2002 – दृष्टिकोण व भविश्य दृष्टि पर भाषण प्रस्तुत किया। पुणे के डॉ सांग कुलकर्णी, विख्यात समुद्रीय जीवविज्ञानी ने अंदमान और निकोबार द्वीप में, एनग्रिया बैंक तथा महाराश्ट्रा के तटीय बेल्ट में समुद्री जैवविविधता पर मुख्य भाषण प्रस्तुत किया। वीडियो क्लिपों के साथ यह एक चित्ताकर्षक प्रदर्शन रहा। इस क्षेत्र के लिए विकसित तथा कार्यान्यन किये गये जैवविविधता परिरक्षण योजना पर अपने दृष्टिकोणें को बीएमसी प्रतिनिधियों ने प्रस्तुत किया। परिरक्षण योजना विकास तथा उसके कार्यान्वयन के लिए इन बीएमसीयों को वित्तीय सहायता एमएसएसबी द्वारा वितरित किया गया। मुख्य अतिथि तथा अन्य आमंत्रितों ने भी सामूहिक जीवन में जैवविविधता की प्रमुखता, हमारे देशीय ब्रीडों की तथा फसल प्रजातियों के बारे में, उनकी परिरक्षण की आवश्यकताओं पर श्रोताओं को संबोधित किया।

इस अवसर पर, मुख्य अतिथि ने एमएसबीबी का अधिकारिक वेबसाइट का उद्घाटन किया।

5.1.14. मेघालया

2014–15 के दौरान बोर्ड का दो बैठक आयोजित था जैसे अप्रेल 2014 और दिसंबर 3, 2014। मेघालया जैविक विविधता नियम 2010 के नियम 23 को ग्रामीण स्तर में बीएमसीयों के गठन के लिए संशोधन किया गया। ग्रामीण/ पंचायत स्तर में वर्ष के दौरान 10 बीएमसीयों का गठन किया गया जिससे राज्य में मार्च 31,2015 को बीएमसीयों की कुल संख्या 94 रहा। वर्ष के अंत में 15 पीबीआरों का दस्तावेजीकरण प्रक्रिया के अधीन है। मावप्लांग सेक्रड ग्रोव, मावप्लांग को जैवविविधता विरासत क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने के लिए पहचाना गया है। बीडी अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन दो आवेदनों का अनुमोदन प्रदान किया गया। फरवरी 19 तथा 20, 2015 को सभी वन अधिकारियों के लिए एक राज्य स्तर कार्यशाला आयोजित किया गया था।

'अनोखी पारिस्थितिकीय निच '' (तीन भाषाओं में खासी, गेरो और अंग्रेजी) के रूप में केसिलियन्स और निमपिया टेट्रागोना परपोस्टर तथा मेघालया के वन आच्छादन नक्क्षा विमोचन के जरिये अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस मनाया गया।

5.1.15. मिजोराम

मार्च 31, 2015 को राज्य में बीएमसीयों की संख्या 221 रहा। 2014–15 के दौरान एक पीबीआर को दस्तावेजीकृत किया गया जिससे मार्च 31,2015 को पीबीआर की कुल संख्या 3 बन गया है।

''डीआईईटी '' ऐजवाल से विद्यार्थियों के लिए असेम्बिल अनेक्स कांफरेन्स हॉल, एजवाल में मई 22, 2014 को अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस मनाया गया और स्कूली बच्चों के लिए चित्र प्रतियोगिता के साथ पंगज्वाल गॉव में जैवविविधता पर जागरूकता अभियान आयोजित किया गया।

5.1.16. मणिपूर

सितंबर 16,2014 को एक बोर्ड बैठक आयोजित किया गया। ग्रामीण/ पंचायत स्तर में वर्ष 2014–15 के दौरान तीन बीएमसीयों का गठन किया गया, जिससे मार्च 31, 2015 को बीएमसीयों की संख्या 52 हो गया। वर्ष के दौरान सात पीबीआरों को दस्तावेजीकृत किया गया जिससे कुल पीबीआर 10 बन गया। एसबीबीयों को तकनीकि इनपुट तथा सुझाव प्रदान करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। अधिसूचना हेतु उन्नीस संभाव्य जैवविरासत क्षेत्रों को पहचाना गया। मणिपूर सरकार आदेश अक्तूबर 2013 के शर्तों में बीएमसीयों को सहायता करने के लिए तकनीकि समर्थन दल (टीएसजी) का गठन किया गया।

मई 22, 2014 को अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस का राज्य स्तर समारोह, चुराचन्दपुर जिला मुख्यालय में सिनॉड हॉल में आयोजित किया गया। इस अवसर पर श्री वुंगजाजिन वाल्टे, माननीय सांसद सचिव, मणिपुर सरकार मुख्य अतिथि रहा। बच्चों के लिए चित्र खीचना तथा रंग साजी प्रतियोगिताएँ चुराचन्दपुर जिला मुख्यालय तथा इम्पाल में आयोजित किया था। विजेताओं

को पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र वितरित किया गया। पॉच हिल जिला मुख्यालय में जैवविविधता जागरूकता कैम्प आयोजित किया गया था। फाउन्डेशन फॉर रीवाइटलाइसेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रेडिशन्स (एफआरएलएचटी), बंगलूर के साथ संयोग में बोर्ड द्वारा ग्रामीण वनस्पतिज्ञ कार्यक्रम (4 फेस) का तृतीय बैच का आयोजन किया गया। सनदी लेखाकर तथा मणिपूर वन विभाग के जरिये बीएमसी के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

5.1.17. नागालैंड

वर्ष के अंत में बीएमसीयों की संख्या ग्रामीण स्तर में 10 रहा। किफैर में मई 22, 2014 को एसबीबी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस समारोह मनाया गया।

5.1.18. ओडिसा

वर्ष 2014–15 के दौरान अगस्त 22, 2014 को एसबीबी का एक बैठक आयोजित किया गया। 2014–15 के दौरान ग्रामीण/ पंचायत स्तर में 210 बीएमसीयों का गठन किया गया जिससे मार्च 321, 2015 को बीएमसीयों की संख्या 230 हो गया है। वर्ष के दौरान 56 पीबीआरों को दस्तावेजीकृत किया गया जिससे वर्ष के अंत में कुल 76 बन गया है।

बीएचएस मार्गदर्शिकाओं को विकसित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। मार्गदर्शिकाओं को अंतिम रूप देने के बाद, जैव विविधता विरासत क्षेत्रों को अधिसूचना के लिए पहचाना जाएगा।

ओडिसा जैवविविधता बोर्ड ने 'ग्लिप्सस ऑफ बयोडायवर्सिटी इन ओडिशा' पर पुस्तक तथा पारिस्थितिकी पर ''थ्रेटेन्ड बर्डस ऑफ ओरिसा '' नामक लीफलेट तथा 'ओटर्स इन ओडिया '' परिरक्षण स्तर प्रकाशित किया।

मई 22, 2014 को अंतराष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस मनाया गया। आडिशा वन विभाग के वन संरक्षक तथा फ्रन्टलायन कर्मचारी फारेस्टेरों के लिए तथा बीएमसी के सदस्यों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयेाजित किया गया।

''जैवविविधता आंकन, अनुवीक्षण तथा परिरक्षण'' पर राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया। उपथीम ''पारिस्थितिकी विविधता, वनस्पतीय विविधता, जीवजन्तु विविधता व कृशि जैवविविधता'' के अधीन 'ओडिशा का जैवविविधता'' थीम पर विभिन्न वर्गीकरणों के लिए फोटोग्राफी और चित्र प्रदर्शन आयोजित किया। केआईआईटी परिसर, भुवनेश्वर में कॉलिंगा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशियल साइन्सस में स्कूली बच्चों के लिए प्रश्नमंच तथा लेख प्रतियोगिता आयोजित किया गया। राज्य में जागरूकता निर्माण करने के लिए ओडिशा के जैवविविधता पर रेडियो कार्यक्रम आयोजित किया गया।

5.1.19. पंजाब

2014–15 के दौरान मई 22, 2014 को एसबीबी का बैठक आयोजित था। जिला परिशद स्तर में एक बीएमसी को पुनःगठन करने के अलावा, वर्ष के दौरान ग्रामीण/ पंचायत स्तर में 33 बीएमसीयों का गठन किया गया जिससे कि मार्च 31, 2015 को बीएमसीयों की संख्या 55 बन गया। वर्ष के दौरान विशेशज्ञ एजेन्सियों को नियुक्त करते हुए आठ पीबीआरों को दस्तावेजीकृत किया गया और वर्ष के अंत में पीबीआरों की कुल संख्या 18 हो गया।

आर्द्रभूमि जैवविविधता तथा परिरक्षण, फलोरल विविधता और देशीकृत जैवविविधता पर प्रदर्शन आयोजित था। गुरदासपुर तथा पथनकोट जिलाओं के अधीन बीएमसीयों तथा सरकारी लाइन विभागों तथा शैक्षिकविदों के अधिकारियों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित था। जिला पीबीआर की तैयारी में सम्मिलित सदस्यों को जैवविविधता परिरक्षण तथा संबंधित विषयों के लिए, डॉ दलजीत सिंह, प्रोफसर, वनस्पति विज्ञान, सरकारी कॉलेज, होशियारपुर को परिरक्षण के सरलीकरण तथा होशियारपुर जिला के जैव संसाधनों के संधारणीय उपभोग के लिए प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। जिला स्तरों में तकनीकि समर्थन दलों का गठन किया गया। सभी जिलाओं में भागीदारी संसाधन आंकन अभ्यासों का आयोजन किया गया गया और प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।

5.1.20. राजस्थान

वर्ष 2014–15 के दौरान, ग्रामीण स्तर पर, पॉच बीएमसीयों का गठन किया गया, जिससे मार्च 31,2015 को राज्य में बीएमसीयों की कुल संख्या 31 बन गया है।

वर्ष के दौरान एक राश्ट्रीय कांफरेन्स, दो जिला स्तर कार्यशालाएँ व एक पक्षी फेयर आयोजित था। वर्ष के दौरान, राज्य के जैवविविधता पर एक पोस्टर तथा पॉच विवरणिकाएँ प्रकाशित किया गया। पहियों पर प्रतिश्ठित प्रदर्शन ''साइन्स एक्स्प्रेस बयोडाइवर्सिटी स्पेशल '' को गहरा प्रचार देते हुए, इस प्रदर्शन में अब तक 2,21,471 आगन्तुकों को आकर्षित किया गया।

5.1.21. सिक्किम

वर्ष के दौरान फरवरी 18, 2015 को एसबीबी का बैठक आयोजित था। छ बीएमसीयों का निर्माण किया गया और एक पीबीआर को वर्श 2014 के दौरान ग्रामीण/ पंचायत स्तर में दस्तावेजीकृत किया गया, जिससे कि मार्च 31, 2015 को बीएमसीयों की कुल संख्या 13 बन गया है।

मई 22–2014 को अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस मनाया गया। स्कूल तथा क्षेत्रीय संस्थाओं में राज्य भर समारोह आयोजित किया गया। पॉच जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया – जैविक विविधता अधिनियम 2002 पर एक राज्य स्तर कार्यक्रम तथा चार जिला स्तर कार्यक्रम। रोडोडेन्ड्रान, प्राकृतिक विरासत, प्राकृतिक बाउंटी,फलेम ऑफ हिमालयॉस और जैविकि विविधता अधिनियम 2002 का मुख्य विशेषताओं पर 4 पोस्टर बाहर लाया गया।

5.1.22. तेलंगाना

तेलंगाना राज्य जैवविविधता बोर्ड को नवंबर 5, 2014 गठन किया और मार्च 1, 2015 से प्रचालन शुरू हुई। वर्ष 2014–15 के दौरान 440 बीएमसीयों का निर्माण किया गया। (तेलंगाना जिला में ग्रामीण स्तर पर 436 और तालुक स्तर में 4) और आन्ध्र प्रदेश राज्य के विभाजीकरण के पहले ही बीइएमसीयों के निर्माण के साथ (तेलंगाना क्षेत्र के अन्दर) 31 मार्च 2015 को तेलंगाना में बीएमसीयसों की संख्या 710 रहा। वर्ष 2014–2015 के अंत में तेलंगाना में पीबीआरों की कुल संख्या 9 रहा। जैविक विरासत क्षेत्र के रूप में अधिसूचना के लिए अग्रो जैवविविधता, जकीराबाद, मेडक जिला को पहचाना गया।

5.1.23. त्रिपुरा

दिसंबर 8,2014 को एसबीबीयों का एक बैठक और दिसंबर 29, 2014 को तथा फरवरी 26, 2015 को विशेषज्ञ समिति का दो बैठकें आयोजित किया गया। गॉव/ पंचायत स्तर में वर्ष 2014–15 के दौरान 39 बीएमसीयों का निर्माण किया गया जिससे मार्च 31, 2015 को बीएमसीयों की कुल संख्या 217 बन गया है। वर्ष के दौरान 66 पीबीआरों को दस्तावेजीकृत किया गया है जिससे से कि कुल संख्या 126 बन गयी है। वर्ष के दौरान बी डी अधिनियम की धरा 24(1) के अधीन एक आवेदन पत्र का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

मई 22, 2014 को अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस मनाया गया। जैविक विविधता अधिनियम 2002 पर जागरूकता निर्माण के लिए, पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र वितरित करते हुए स्कूली बच्चे, संस्थाऍं व बीएमसीयों को मान्यता प्रदान करते हुए मई 22, 2014 को अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस मनाया गया।

5.1.24. उत्तरखंड

वर्ष 2014–15 के दौरान, मई 27, 2014 तथा सितंबर 10, 2014 को एसबीबीयों का दो बैठक आयोजित किया गया। ग्राम/ पंचायत स्तर में 2014–15 के दौरान आठ बीएमसीयों का निर्माण किया गया जिससे मार्च 31, 2015 को कुल बीएमसीयों की संख्या 751 बन गया था। 9 पीबीआरों का दस्तावेजीकरण प्रक्रिया के अधीन है जिससे मार्च 31,2015 को पीबीआरों की कुल संख्या 22 बन गयी है। जैवविविधत विरासत क्षेत्रों के रूप में अधिसूचना के लिए 13 क्षेत्रों का प्रारंभिक आकन पूर्ण किया गया है।

देहरादून, हाल्डवानी, नैनिटाल, गोपेश्वर और रामपुर मंडी, कालसी (देहरादून) में 'द्वीप जैवविविधता '' थीम के साथ मई 22, 2014 को अंतराष्ट्रीय जैवविविधता दिवस समारोह मनाया गया। नेपालीय वन अधिकारियों तथा एकाग्र पहाडी विकास, काथमंडु से प्रतिनिधियों के लिए बीएमसीयों के निर्माण, पीबीआर की तैयारी, जैव सांस्कृतिक प्रोटोकॉल (बीसीपी) और एबीएस पर प्रशिक्षकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण (टीओटी) व अभिगम तथा लाभ आबंटन पर प्रकटन दौरा , नवंबर 4 से 7, 2014 तक आयोजित किया गया। आनुवंशिक संसाधनों से अभिगम तथा हिन्दु खुश हिमालया से अभिगम पर क्षेत्रीय विशेषज्ञ कार्यशाला नवंबर 25 से 27 तक आयोजित किया गया था। डीएफओ, सीएफ, तकनीकि समर्थन दल और बीएमसीयों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। डून विश्वविद्यालय, देहरादून के विद्यार्थियों के लिए इन्टर्नशिप आयोजित किया गया। मेघालया, उत्तर प्रदेश और गोआ जैसे अन्य राज्यों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण भी एसबीबी यों द्वारा आयोजित किया गया। द्वीप जैवविविधता पर पोस्टर का विमोचन किया गया।

5.1.25. उत्तर प्रदेश

वर्ष 2014–15 के दौरान एसबीबी का चार बैठक आयोजित किया गया (अप्रेल 7, 2014, जुलाई 23, 2014 तथा मार्च 24,2015)। ग्रामीण स्तर में वर्ष 2014–15 के दौरान, 23 बीएमसीयों का निर्माण किया गया जिससे कुल बीएमसीयों की संख्या 32 बन गया है। वर्ष के दौरान पॉच पीबीआर को दस्तावेजीकृत किया गया जिससे पीबीआरों की कुल संख्या 11 बन गया है। बी डी अधिनियम 2002 तथा जैविक विविधता नियम 2004 के नियम 14 के अधीन एक आवेदन (वाणिज्यिक उपयोग

या जैव सर्वेक्षण या जैव उपयोग के लिए अनुमोदन प्रदान करना) का अनुमोदन प्रदान किया गया। धारा 3 और 6 के अधीन एक एक आवेदन को खारिज किया गया। वर्ष के दौरान बी.डी अधिनियम की धारा 41 (2) के अधीन एक आवेदन का अनुमोदन प्रदान किया गया। (आईपीआर के लिए आवेदन करने के लिए पूर्व अनुमोदन)

एसबीबी द्वारा क्षेत्रीय विज्ञान नगर, अलिगंज, लखनऊ में मई 16 से 21, 2014 तक जैवविविधता त्योहार मनाया गया। इस कार्यक्रम, विद्यार्थियों के बीच द्वीपों के जैवविविधता परिरक्षण तथा मुख्यता पर संदेश को फैलाने के लिए यूपी, एसबीबी, जीव विज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय तथा क्षेत्रीय विज्ञान शहर, लखनउ द्वारा संयुक्त रूप में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर, कई प्रतियोगिताओं कातथा कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। संपूर्णतः जैवविविधता त्योहार के दौरान आयोजित विभिन्न इवेन्टों में विभिन्न स्कूल/कॉलेजों से 350 विद्यार्थी सक्रिय भाग लिये। विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेताओं को पुरस्कार, जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर,मई 24, 2014 को डॉ राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्व़िद्यालय, लखनऊ में आयोजित समारोह में, मुख्य अतिथि डॉ एस.डब्ल्यू.ए. नक्वी, निदेशक, इंडियन इंस्ट्टियूट ऑफ ओशियनोग्राफी, गोआ द्वारा वितरित किया गया। इस अवसर पर, ''द्वीप जैवविविधता '' पर राष्ट्रीय कांफरेन्स भी आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न अनुसंधान संगठन/संस्थाएँ, विश्व़िद्यालय, यूपी वन विभाग तथा अन्य राज्यों से अधिकारी तथा एनजीओ आदि सम्मिलित करके 400 से अधिक प्रतिनिधि भाग लिये। इस समारोह के अंग के रूप में, ''द्वीप जैवविविधता'' पर विशेषांक और ''उत्तर प्रदेश के जैवविविधता का वस्तुसूची'' और ''कुकुरबिट्स : उत्तर प्रदेश में जैवविविधता, पालन तथा उत्पादन'' नामक दो पुस्तकों का विमोचन किया गया। अन्य मुख्य समारोहों में, उत्तर प्रदेश के ई–संभागीय वन अधिकारियों के लिए डॉ आर.एम.एल राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के ग्रन्थालय हॉल में 29.8.2014 को ''जैवविविधता– विधि तथा नीति '' पर एक दिवसीय कार्यशाला सम्मिलित है।

कांफरेन्स का उद्घाटन, मुख्य अतिथि डॉ एस.डब्ल्यू.ए. नक्वि, निदेशक, इंडियन इंस्ट्टियूट ऑफ ओशियानोग्राफी, गोआ द्वारा किया गया।

5.1.26. पश्चिम बंगाल

अगस्त 12, 2014 तथा दिसंबर 23, 2014 को दो बैठकें आयोजित थी। वर्ष 2014–15 के दौरान, 90 बीएमसी यों का निर्माण किया गया। (ब्लाक/तालूक/मंडल स्तर में 76 तथा नगरपालिका/मुनिसिपॉलिटी स्तर में 14) जिससे मार्च 31, 2015 को राज्य में बीएमसीयों की कुल संख्या 176 हो गयी थी। वर्ष के दौरान 16 पीबीआर को दस्तावेजीकृत किया गया जिससे कुल पीबीआर 76 बन गया। मार्च 20, 2015 को डार्जिलिंग वन संभाग के तांग्लु और दोत्रे चिकित्सीय पौधा परिरक्षण क्षेत्र को जैवविविधता विरासत क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया गया। वर्ष के दौरान बी.डी अधिनियम की धारा 23 (बी) के अधीन पॉच आवेदनों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

कोलकाता में मई 22, 2014 को अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस मनाया गया था। इस अवसर पर, माननीय एमआईसी डॉ सुदर्शन घोष दस्तीदर, पर्यावरण विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एक अलंकृत चित्र का उद्घाटन किया गया। विभिन्न विश्वविद्यालय/कॉलेज/ अन्य संगठनों द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकें/ सेमिनार/ कार्यशालाओं में बोर्ड अधिकारी भाग लिये और भाषण प्रस्तुत किये। बोर्ड ने विद्यार्थियों, नीति निर्माता तथा क्षेत्रीय बॉडी अधिकारियों के बीच बहुसंख्या सेमिनार आयोजित किया। पंचायत तथा ग्रामीण विकास के लिए राज्य संस्था के साथ सहयोग में पंचायत अधिकारियों तथा ब्लाक विकास अधिकारियों के लिए जैवविविधता तथा जैवविविधता अधिनियम तथा नियम पर सात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। दक्षिण बंगाल के बीएमसी अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम मिदनापूर में नवंबर 23, 2014 को आयोजित किया गया था। बोर्ड द्वारा राज्य के जैवविविधता से संबंधित तकनीकि लेखों तथा बोर्ड गतिविधियों के बारे में सामान्य जागरूकता के लिए आवधिक ई–न्यूजलेटर प्रकाशित किया गया था। जैवविविधता परिरक्षण में बेहतर अंशदान के लिए जैवविविधता पुरस्कार 2014,रामनगर के श्री प्रिटिरंजन मैती –आई.पी.एस, पश्चिमी मेदिनीपुर जिला, बिरबम जिला के श्री दीनबंधु बिस्वास और सउथ 24 परगनास जिला के एनजीओ को प्रदान किया गया।

यूएनडीपी–जीईएफ–एमआईईएफ एबीएस परियोजना के अधीन, तृतीय दल एजेन्सी को नियुक्त करके

'पश्चिम बंगाल में व्यापार करने योग्य जैव संसाधनों पर अध्ययन ' नामक विस्तार अनुसंधान सफलतापूर्वक पूर्ति किया गया। नियुक्त तृतीय दल के परामर्शदाताओं के साथ दो पुनरीक्षण बैठकों के अनुवर्ती में एक प्रारंभ कार्यशाला आयोजित किया गया। लायन विभागीय अधिकारियों तथा औद्योगिकी कर्मियों के साथ 19 जिला स्तर बैठकें, संबंधित जिला मेजिस्ट्रेटों के साथ संयोग में

आयोजित किया गया। अंतिम प्रतिवेदन को समर्पित किया गया और प्रकाशन के लिए तैयार है। एबीएस समझौतों के लिए 10 संभाव्य जैव संसाधनों को पहचाना गया।

1. जैवविविधता नीति तथा विधि के लिए केन्द्र(सीईबीपीओएल)

नार्वेजीय सरकार के साथ संयोग मेंभारत सरकार ने भारतीय जैवविविधता प्राधिकरण (एनबीए) चेन्नईमें भारत में जैविविधिता नीति तथा परिरक्षण संबंधित समस्याओं को सुदृढ करने की ओर ''जैवविविधता नीति तथा विधि के लिए केन्द्र' (सीईबीपीओल) को स्थापित किया। इस श्रेष्ठता केन्द्र, जैवविविधता नीतियों तथा विधियों पर केन्द्रीकृत है जो राश्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय नियम निर्माण की आवश्यकता को तथा जैवविविधता के समस्याओं पर बाद के कार्यान्वयन को पूंर्ति करता है। इस केन्द्र का लक्ष्य निम्न है

- राष्ट्रीय स्तर में तथा बहुपक्षीय फारम में जैवविविधता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में,जैवविविधता नीतियॉ तथा विधियोंसे संबंधित विशयों में अनवरत आधार पर भारत सरकार तथा नार्वे को व्यावसायिक समर्थन, सलाह तथा विशषज्ञता प्रदान करना
- जैविक विविधता पर कन्वेन्शन से संबंधित विषयों में अनुसंधान, विकास तथा प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करते हुए तथा उनके अन्य बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौता तथा संघ राज्य बॉडियों के साथ इन्टरफेस के जरिये जैवविविधता संबंधित नीतियों तथा विधियों में व्यावसायिक विशेषज्ञता विकसित करन
- मानव संसाधन विकास पर केन्द्रीकृत करके हितधारकों के गहरे रेंज के लिए, बहुविषयक अनुसंधान तथा तदनुकूल प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिये क्षमता निर्माण कार्यक्रम के अरे को विकसित करना तथा कार्यान्वयन करना
- भारत के अन्दर संबंधित अनुसंधान केन्द्र तथा पर्यावरणीय विधि असोसियेशनों को शामिल करके वेब कांफरेन्सिंग, वेब सेमिनार तथा आभासी बैठकों के जरिये संवादात्मक सूचना सरल करने
- प्रशिक्षण तथा मानव संसाधन विकास के जरिये जैवविविधता नीति और विधि के लिए क्षेत्रीय तथा अंतर्राश्ट्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में भारत को विकसित करने में सहायता करने

6. जैवविविधता नीति तथा विधि के लिए केन्द्र(सीईबीपीओएल)

नार्वेजीय सरकार के साथ संयोग में भारत सरकार ने भारतीय जैवविविधता प्राधिकरण (एनबीए) चेन्नई में भारत में जैविविधिता नीति तथा परिरक्षण संबंधित समस्याओं को सुदृढ करने की ओर ''जैवविविधता नीति तथा विधि के लिए केन्द्र' (सीईबीपीओल) को स्थापित किया। इस श्रेष्ठता केन्द्र, जैवविविधता नीतियों तथा विधियों पर केन्द्रीकृत है जो राश्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय नियम निर्माण की आवश्यकता को तथा जैवविविधता के समस्याओं पर बाद के कार्यान्वयन को पूंर्ति करता है। इस केन्द्र का लक्ष्य निम्न है

- राष्ट्रीय स्तर में तथा बहुपक्षीय फारम में जैवविविधता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में,जैवविविधता नीतियॉ तथा विधियोंसे संबंधित विशयों में अनवरत आधार पर भारत सरकार तथा नार्वे को व्यावसायिक समर्थन, सलाह तथा विशषज्ञता प्रदान करना
- जैविक विविधता पर कन्वेन्शन से संबंधित विषयों में अनुसंधान, विकास तथा प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करते हुए तथा उनके अन्य बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौता तथा संघ राज्य बॉडियों के साथ इन्टरफेस के जरिये जैवविविधता संबंधित नीतियों तथा विधियों में व्यावसायिक विशेषज्ञता विकसित करन
- मानव संसाधन विकास पर केन्द्रीकृत करके हितधारकों के गहरे रेंज के लिए, बहुविषयक अनुसंधान तथा तदनुकूल प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिये क्षमता निर्माण कार्यक्रम के अरे को विकसित करना तथा कार्यान्वयन करना
- भारत के अन्दर संबंधित अनुसंधान केन्द्र तथा पर्यावरणीय विधि असोसियेशनों को शामिल करके वेब कांफरेन्सिंग, वेब सेमिनार तथा आभासी बैठकों के जरिये संवादात्मक सूचना सरल करने
- प्रशिक्षण तथा मानव संसाधन विकास के जरिये जैवविविधता नीति और विधि के लिए क्षेत्रीय तथा अंतर्राश्ट्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में भारत को विकसित करने में सहायता करने

कार्यक्रम का कार्यान्वयन

पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आदेश सं. सी–12025/4/2009 –सीएस.III के तहत 'जैवविविधता नीति तथा विधि केन्द्र'' (सीईबीपीओएल) के कार्यचालन को पर्यवेक्षण करने के लिए कार्यक्रम स्टीरिंग समिति (पीएससी) का गठन किया। आम सहमति के जरिये आवधिक पुनर्विलोकन आयोजन तथा कार्यक्रम, प्रबंधन निर्णयों के लिए इस पीएससी जिम्मेदार होंगे। पीएससी वर्ष मे एक बार कम से कम मिलेंगे और कार्यक्रम के लिए आवश्यक इनपुट प्रदान करेंगे।

नावीर्जि एम्बेसी, नई दिल्ली के साथ परामर्श में नार्वीजिय पर्यावरण एजेन्सी (एनईए) ने बयोतक सन्सार्टियम इंडिया लिमिटेड (बीसीआईएल) को सेवा प्रदायक के रूप में चयन किया और इसके अनुसार समझौता में प्रवेश किया, जिसका जून 20,2013 को हस्ताक्षरित हुआ था। इस समझौता के अनुसार, एनबीए को गैर–तकनीकि समर्थन बीसीआईएल द्वारा प्रदान किया जाएगा और भारत में अपनाये जानेवाले सभी गतिविधियों के लिए बीसीआईएल के जरिये निधि प्रदान किया जाएगा।

कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई

कार्यक्रम को कार्यान्वयन करने के लिए, सात पदों के लिए स्वीकृति प्रदान किया गया था जिसमें निम्न सम्मिलित है एक कार्यक्रम प्रबंधक, प्रशासनिक कार्यकारी अधिकारी, वित्तीय कार्यकारी अधिकारी, दूरसंचार कार्यकारी अधिकारी, परामर्शदाता (विधि), परामर्शदाता (नीति) तथा परामर्शदाता (क्षमता निर्माण)। इन सभी पदों को भारत सरकार के बजट में समर्थन प्रदान किया गया है। विभिन्न थीम आधारित अध्ययनों को अपनाने के लिए केन्द्र द्वारा फेलोशिप समर्थन भी प्रदान किया जाता है और इसका

नार्विर्जिय बजट के अधीन समर्थन प्रदान किया गया है। सीईबीपीओएल कार्यक्रम के लिए एनबीए परिसर में ही पॉचवी मंजिल, टीआईसीईएल बयोपार्क, सीएसआईआर रोड, तरमणि, चेन्नई में अलग कार्यालय प्रदान किया गया है।

सीईबीपीओएल कार्यक्रम की प्रगति को पुनरीक्षण करने के लिए द्वितीय पीएससी बैठक का आयोजन एमआईईएफ और सीसी, नई दिल्ली में जनवरी 7, 2015 को आयोजित किया गया। द्वितीय कार्यक्रम स्टीरिंग समिति बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में, संदर्भ की शर्त (टीओआर), प्रस्तावना तथा सीईबीपीओएल कार्यक्रम के अधीन अपनाये जाने योग्य विभिन्न अनुसंधान अध्ययनों के प्रतिवेदनों को पुनरीक्षण करने या मूल्यांकन करने के लिए एक तकनीकि समिति का गठन किया जाएगा।

सीईबीपीओएल समेकन –एबीएस पर अनुभव का आबंटन

नार्वेजिय पर्यावरवण एजेन्सी (एनईए) के साथ संयोग में राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (एनबीए) द्वारा होटल अलाफट, चेन्नई में फरवरी 3 तथा 4 2015 को अनुभव आबंटन कार्यशाला

आयोजित किया गया था। इस कार्यशाला को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य, पहुॅच तथा लाभ आबंटन (एबीएस), प्रौद्योगिकी अंतरण (टीटी), जैवसुरक्षा, प्राकृतिक इंडेक्स (एनआई) और राष्ट्रीय जैवविविधता कार्यकारी योजना (एनबीएपी) जैसे कुछ पहचाने गये विषयगत क्षेत्रों पर भारत तथा नार्वे के अनुभव को आबंटन करना था।

एसबीबी, एमओईएफ तथा सीसी, एनबीए से लगभग 70 प्रतिनिधि, भार तथा नार्वे से विशेषज्ञ तथा अन्य जैवविविधता संबंधित संस्थाऍं भाग लिये और वादविवाद में भाग लिये। इस कार्यशाला के अनुवर्ती में, विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र को प्रकट करनेवाले पैतृक क्षेत्र मारक्कानम तथा महाबलिपुरम में एक क्षेत्रीय दौरा आयोजित किया गया।

कार्यकारी योजना 2015

वर्ष 2015 के लिए निम्न 6 विशयगत गतिविधियों को पहचाना गया 1. पहुॅच तथा लाभ आबंटन 2. जैवविविधता को मेइनस्ट्रीम करना 3. आक्रामक विदेशी प्रजाति 4. अन्य बहुपक्षीय समझौते/ संगठनों के साथ इन्टरफेस 5. जैवसुरक्षा तथा 5. कार्ययोजना के रूप में प्रकृति इंडेक्स। सीईबीपीओएल द्वारा, भारत के लिए नीति इनपुट प्रदान करने हेतु, लाभ आबंटन अंशों को विकसित करने के लिए क्षेत्र–वार पहुॅचों को और अन्य देशों में भारतीय जैविक संसाधनों (बीआर) के अनुवीक्षण/ उपयोग संबंधित तरीके तथा साधन का सुझाव दिया जाएगा, जिसमें पेटेन्ट प्रयोगों में बीआर के श्रोत तथा मूल का प्रकटन, जिससे कि

एबीएस पर एनपी के प्रावधानों के अधीन उत्तरदायित्वों का भारत द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा आनुवंशिक संसाधन/ जैविक संसाधनों के साथ संबंधित परंपरागत ज्ञान सम्मिलित है, एबीएस पर नगोया प्रोटोकॉल (एनपी) के कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियों का समर्थन प्रदान किया जाएगा। एनपी के परिप्रेक्ष्य में चयनित देशों से जैवविविधिता/ एबीएस से संबंधित राष्ट्रीय कानूनों के संकलन तथा पुनरीक्षण पर कार्य किया जाएगा।

7. अभिगम तथा लाभ आबंटन प्रावधानों पर केन्द्रीकरण के साथ जैविक विविधता अधिनियम तथा नियमों के कार्यान्वयन को सुदृढ करने पर यूएनईपी–जीईएफ–एमओईएफ और सीसी परियोजना

उद्देश्य

इस परियोजना का उद्देश्य, अभिगम तथा लाभ आबंटन (एबीएस) प्रावधानों के कार्यान्वयन के जरिये जैवविविधता परिरक्षण उपलब्धि हेतु जैविक विविधता (बीडी) अधिनियम 2002 तथा नियम 2004 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए हितधारकों के संस्थानीय, व्यक्तिगत तथा प्रणालीकृत क्षमताओं को विकसित करना है।

परियोजना निष्पादन : एजेन्सी तथा सहभागी

इस परियोजना का निष्पादन, पॉच राज्य जैवविविधता बोर्डों जैसे आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल तथा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर में सहभागियों के साथ सहयोग में राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (एनबीए) द्वारा किया जा रहा है। आगे, परियोजना को और पॉच राज्य जैवविविधता बोर्डों जैसे कर्नाटक, गोआ, आडिसा, तेलंगाना तथा त्रिपुरा द्वारा प्रतिकृति किया जा रहा है।

परियोजना में सहभागी

बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया (बीएसआई) 2. जुआलॉलिकल सर्वे ऑफ इंडिया (इजडएसआई) 3. युनाइटेड नेशन्स डेवलेपमेंट प्रोग्राम (यूएनडीपी) और युनाइटेड नरेशन्स यूनिवर्सिटी – इंस्ट्टियूट ऑफ अडवान्स्ड स्टडीज (यूएनयू–आईएएस) 5. ग्लोबल एनवरायनमेंटल फेसिलिटी (जीईएफ) 6. युनाइटेड नेशन्स एनवरायन्मेंटल प्रोग्राम– डिविशन ऑफ एनवरायनमेंटल लॉ अण्ड कन्वेन्शान्स (यूएनईपी–डीईएलसी)

परियोजना के लिए मुख्य अंश निम्न है –

– एबीएस के लिए संभाव्यता के साथ जैवविविधता का पहचान तथा वन, कृषि तथा आर्द्रभूमियों जैसे चयनित पारिस्थितिकियों में उनका मूल्यांकन

– जैविक विविधता अधिनियम के एबीएस प्रावधानों को कार्यान्वयन करने के लिए औजार, कार्यप्रणाली, मार्गदर्शिकाऍं, रूपरेखा का विकास

– एबीएस पर समझौतों का चालन

– राष्ट्रीय स्तर में एबीएस प्रावधानों से संबंधित नीति तथा नियंत्रणीय रूपरेखाओं का कार्यान्वयन और इससे अंतर्राष्ट्रीय एबीएस नीति समस्याओं को अंशदान प्रदान करना

– जैविक विविधता अधिनियम के एबीएस प्रावधानों के सुदृढ कार्यान्वयन हेतु क्षमता निर्माण

– जन जागरूकता विकसित करना

परियोजना के अधीन विशेष कार्यक्रम / इवेन्ट

यूएनईपी–जीईएफ–एबीएस दल ने निम्न विशेष कार्यक्रम में भाग लिया और एबीएस प्रावधानों के साथ जैवविविधता अधिनियम, जैव संसाधनों का आर्थिक मूल्यांकन, जन जैविविधता पंजी, जैव–संसाधन के साथ संबंधित परंपरागत ज्ञान आदि संबंधित विवरण उपलब्ध परियोजना संबंधित विवरण स्टेंडी को प्रदर्शित किया।

क्रम सं	कार्यक्रम / इवेन्ट
1	भारतीय विज्ञान कांग्रेस, मुम्बई, महाराष्ट्र
2	क्षेत्रीय विज्ञान कांफरेन्स, तिरुपति, आन्ध्र प्रदेश
3	'उत्तर पूर्वी, इम्पाल, मणिपूर में चिकित्सीय पौधा सेक्टॉर के संधारणीय विकास '' पर राष्ट्रीय कार्यशाला

8. कानूनी तथा नियंत्रणीय रूपरेखा का पुनर्विलोकन :

वर्ष 2014–15 के दौरान हस्ताक्षरित एबीएस समझौते निम्न है :

वर्ष 2014–15 के दौरान आवेदकों के साथ प्रवेश किये गये समझौतों की कुल संख्या निम्न है

प्रारूप 1	प्रारूप 2	प्रारूप 3	प्रारूप 4	प्रारूप 5
19	0	22	1	42

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण द्वारा या के विरुद्ध वर्तमान में जारी मुकद्दमे

एनबीए के लिए उपस्थित काउन्सल को सहायता करने के लिए तथा कई न्यायालय/ अधिकरणों के सामने राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण/ पर्यावरण, वन तथा जलवायु मंत्रालय के विरुद्ध या द्वारा मुकद्दमों के साथ व्यवहार करने के लिए कानूनी सोल जिम्मेदार होंगे। जैविक विविधता अधिनियम 2002 तथा जैविक विविधता नियम 2004 या उपरोक्त अधिनियम के अधीन जारी किये गये किसी आदेश या निर्देशों के उल्लंघन से संबंधित प्रकरणों में एनबीए द्वारा सक्रिय कदम लिया जा रहा है।

विभिन्न न्यायालय/ अधिकरणों के सामने निलंबित प्रकरणों की सूची जिसमें एनबीए एक दल है

क्रम सं	न्यायालय	निलंबित प्रकरणों की संख्या
1	भारत के उच्चतम न्यायालय	3
2	कर्नाटक उच्च न्यायालय	2
3	मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर	1
4	राष्ट्रीय हरित अधिकरण (दक्षिण अंचल), चेन्नई	4
5	राष्ट्रीय हरित अधिकरण , भोपाल *16 प्रकरणों में से, 13 का निपटान किया गया और बाकी 3 प्रकरण तर्क के लिए निलंबित है	16*
6	प्रिंसिपल जेएमएफसी न्यायालय, धारवाड़	1
7	मद्रास उच्च न्यायालय, *इस रिट अर्जी को 11.3.2015 को निपटान किया गया	1*

8.4 सूचनाधिकार 2005

एनबीए द्वारा प्राप्त आरटीआई आवेदन तथा अपीलों को अक्षरशः सूचनाधिकार अधिनियम 2005 के साथ अनुपालन में कानूनी सेल द्वारा प्रक्रियाकृत किया गया तथा केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी या प्रथम अपीलेट प्राधिकारी द्वारा, जैसे प्रकरण हो, कानूनी सेल की सहायता के साथ निपटान किया गया।

8.5 राज्य जैवविविधता नियम

राज्य जैवविविधता बोर्डों (एसबीबी) को सलाह तथा मार्गदर्शन प्रदान करने संबंधित मुख्य भूमिका कानूनी सेल निष्पादित कर रहा है। संबंधित राज्य जैवविविधता नियमों का पुनर्विलोकन ही, एसबीबीयों द्वारा सलाह मॉगे जानेवाले मुख्य क्षेत्रों में से एक है। मुख्यतः जैविक विविधता अधिनियम 2002 के साथ तथा सामान्यतः जैविक विविधता नियम 2004, अधिसूचनाएँ, आदेशों आदि के साथ अनुपालन को आकलन करने में विस्तार से प्रत्येक जैविक विविधता नियम का विश्लेषण किया जाता है। जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 63 के अधीन उन्हें प्रदत्त अधिकारों के अनुसरण में विभिन्न राज्यों द्वारा तैयार किये गये राज्य जैविक विविधता नियमों का एनबीए के कानूनी सेल द्वारा पुनर्विलोकन किया गया। राज्य जैविक विविधिता नियमों का पुनर्विलोकन या तो एनबीए द्वारा संज्ञान में किया गया या संबंधित राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा पुनर्विलोकन के लिए विनती पर आधारित करके किया गया। अब तक, वर्ष 2014–15 में कानूनी दल द्वारा 20 राज्य नियमों का, जिसमें विभिन्न ड्राफ्ट स्तरों में स्थित एसबीबी नियम (जैसे अब तक अधिसूचित नहीं किया गया) तथा नियमों जिन्हें अधिसूचित किया गया तथा जैविक विविधता अधिनियम 2002 और बीडीनियम 2004 के साथ अनुसरण में संशोधन की आवश्यकता थी, का पुनर्विलोकन सम्मिलित है जैसे आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराश्ट्रा, मणिपूर, मेघालया, ओडिसा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, गुजरात तथा तमिलनाडु।

9. वित्तीय निष्पादन

NATIONAL BIODIVERSITY AUTHORITY
TARAMANI, CHENNAI -600113

Receipts and Payments Account for the year ended 31st March, 2015

(Amount in Rs)

Receipts	Current Year: 2014-15		Previous Year: 2013-14		Payments	Current Year: 2014-15		Previous Year: 2013-14	
	Plan	Non-Plan	Plan	Non-Plan		Plan	Non-Plan	Plan	Non-Plan
I. Opening-Balances:					I. Expenditures:				
a) Cash in hand	30,000	0	25,000	0	a) Establishment-Expenses	3,19,15,212		2,48,68,259	0
b) Bank Balances:					b) Administrative-Expenses	6,32,22,323		5,58,13,832	0
(i) In Current A/c	0	0	-5,000	0					
(ii) In Deposit A/c	0	0	97,44,140	0					
(iii) In Savings A/c	15,19,61,719	0	3,46,26,396	0	II. Payment made towards Funding for for Various Projects	62,77,626		40,50,668	0
c) GEF Bank A/c	2,24,78,603	0	4,21,80,964	0					
II. Grants-Received:					III. Investments / Deposits Made:				
a) From Government of India (MoEF)	19,06,00,000		35,90,88,057	0	a) Out of Earmarked / Endowment funds	0	0	0	0
b) From State Government			0	0	b) Out of own Funds	0	0	0	0
c) From other Sources			0	0					
III. Income on-Investments from					IV. Expenditure-on Fixed Assets & & Capital Work -in- Progress				
a) Earmarked / Endowment Funds	0	0	9,56,108	0	a) Purchase of Fixed Assets	23,63,288	0	14,88,952	0
b) Own Funds (Other Investments)	0	0	0	0	b) Expenditure on Capital Work-in Progress	0	0	98,63,967	0
IV. Interest received					V. Refund of Surplus money / Loans				
a) On Bank S.B.A/c	67,62,633	0	55,61,600	0					
b) Loans, Advances, etc.	0	0	0	0	a) To the Govt.of India for CoP-11	11,43,709	0	52,87,608	0
V. Other Incomes:					b) To the State Government	0	0	0	0
a) Application Fees	6,57,536	0	6,21,978	0	c) To other providers of funds	0	0	0	0
b) Royalty Fees	2,301	0	2,988	0					
c) 5% Benefit Sharing recd.from A.P.Forest Devt.Corporation Ltd.	15,49,65,145	0	0	0					
c) Miscellaneous-Income	0	0	0	0	VI. Finance - charges (Interest)	0	0	0	0
d) Sale of Newspapers	2,146	0	4,084	0					
e) Sale of Assets	0	0	--	0					
f) RTI filing fees	6,110	0	130	0					
VI. Amount - Borrowed	0	0	0	0	VII.Other Payments				
					Security/Telephone Deposits/E.M.D.repaid	5,33,000	0	5,000	0

Receipts	Current Year: 2014-15		Previous Year: 2013-14		Payments	Current Year: 2014-15		Previous Year: 2013-14	
	Plan	Non-Plan	Plan	Non-Plan		Plan	Non-Plan	Plan	Non-Plan
VII. Other Receipts:					SBBs.Share of Royalty	0	0	112	0
Earnest Money / Security Deposit / Ret.Money recd.from Contractors	3,31,619	0	3,81,419	0	GIA for Strenghening of SBBs.	4,22,94,237	0	3,45,57,092	0
Tele.Deposit (Refund)	0	0	20,532	0	GIA for Constitution of BMCs.& PBRs.Preparation	10,17,00,416	0	11,61,06,375	0
NBA-CPF Bank A/c (A/c closed & the proceeds received)	4,72,005		1,76,000		NBA-CPF Bank A/c (A/c closed & proceeds paid to Ex-Chairman-NBA)	4,72,005	0	1,76,000	0
(Contributions recd.)	0				(Contributions Transfd.)				
NBA Staff CPS Bank A/c (Contributions recd.)	0	0	1,12,476	0	NBA Staff CPS Bank A/c (Contributions Transfd.)	0		1,12,476	
CEBPOL Project	1,42,01,298	0	0	0	CEBPOL Project A/c	32,32,717	0	1,82,214	0
GEF on NBSAP Project	27,62,664	0	0	0	GEF on NBSAP Project	0	0	27,62,664	0
GIA for ABS Dialogue Workshops at Goa	3,62,000	0	0	0	ABS Dialogue Meeting Expenses at Goa	8,51,174	0	0	0
CBD-HLP Meetings	1,94,973	0	8,04,920	0	CBD-HLP Meetings	0	0	14,32,422	
GEF.Project A/c	4,97,95,097	0	1,40,35,883	0	CoP-11 Related Exp.	0	0	32,80,373	0
					GEF.Project A/c	2,58,56,986	0	3,37,38,244	0
					UNDP.Project A/c	0	0	1,41,095	0
					VIII. Closing - Balances				
					a) Cash in hand	50,000	0	30,000	0
					b) Bank Balances:				
					(i) In Deposit A/c	1,20,00,000	0	0	0
					(ii) In Savings A/c	24,64,59,365		15,19,61,719	0
					c) GEF Cash & Bank A/c	4,64,16,714	0	2,24,78,603	0
					d) CEBPOL Bank A/c	1,07,97,077	0	0	0
Total	**59,55,85,849**	**0**	**46,83,37,675**	**0**	**Total**	**59,55,85,849**	**0**	**46,83,37,675**	**0**

ACCOUNTS OFFICER

SECRETARY

CHAIRMAN

NATIONAL BIODIVERSITY AUTHORITY
TARAMANI, CHENNAI -600113

Income and Expenditure Account for the year ended 31st.March,2015

(Amount in Rs.)

INCOME	Sch. No.	Current Year: 2014-15		Previous Year: 2013-14	
		Plan	Non-Plan	Plan	Non-Plan
Income from Sales / Services	12				
Grants/ Subsidies: Rs. Grants received as per Sch.No.13 19,06,00,000 Less: Capitalization of Fixed Assets-} during the year 2014-15 } (-) 1,14,29,784 Net Income from Grants 17,91,70,216	13	17,91,70,216	0	34,28,51,597	0
Fees / Subscription	14	6,57,536	0	6,21,978	0
Income from Investments (Income on Investments from Earmarked / Endowment Funds transferred to Funds)	15	10,76,783	0	4,05,538	0
Income from Royalty, Publication etc.	16	15,49,67,446	0	2,876	0
Interest Earned	17	65,17,315	0	53,42,067	0
Other Income	18	8,256	0	4,214	0
Increase / (decrease) in stock of Finished goods and works in-progress	19	0	0	0	0
TOTAL (A)		**34,23,97,552**	**0**	**34,92,28,270**	**0**
EXPENDITURE					
Establishment Expenses	20	33014599	0	23792165	0
Other Administrative Expenses etc.	21	6,28,46,284	0	6,70,61,712	0
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22	15,02,59,779	0	15,49,01,925	0
Interest	23	0	0	0	0
Depreciation as per Schedule 8		25,76,833	0	22,94,492	0
Loss on Sale of Assets		0	0	0	0
TOTAL (B)		**24,86,97,495**	**0**	**24,80,50,294**	**0**
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		9,37,00,057	0	101177976	0
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24				
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25				

ACCOUNTS OFFICER SECRETARY CHIARMAN

NATIONAL BIODIVERSITY AUTHORITY
TARAMANI, CHENNAI -600113

Balance Sheet for the year ended 31st March, 2015

(Amount in Rs.)

CORPUS / CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Sch. No.	Current Year: 2014-15		Previous Year: 2013-14	
		Plan	Non-Plan	Plan	Non-Plan
CAPITAL FUND	1	1,67,55,501	0	1,50,41,179	0
RESERVES AND SURPLUS	2	0	0	0	0
EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS	3	16,86,90,880	0	1,19,89,115	0
SECURED LOANS AND BORROWINGS	4	0	0	0	0
UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	5	0	0	0	0
DEFERRED CREDIT LIABILITIES	6	0	0	0	0
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	7	9,59,77,719	0	15,43,35,166	0
TOTAL		28,14,24,100	0	18,13,65,460	0
ASSETS					
FIXED ASSETS	8	1,70,55,868	0	2,21,14,248	0
INVESTMENTS–FROM EARMARKED/ ENDOW MENT FUNDS	9	0	0	0	0
INVESTMENTS – OTHERS	10	0	0	0	0
CURRENT ASSETS,LOANS,ADVANCES ETC.	11	26,43,68,232	0	15,92,51,212	0
MISCELLANEOUS EXPENDITURE (To the extent not written off or adjusted)		0	0	0	0
TOTAL		28,14,24,100	0	18,13,65,460	0
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24				
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUN TS	25				

ACCOUNTS OFFICER SECRETARY CHAIRMAN

10. वार्षिक योजना 2015–16

आम सहमति पर पहुँचना ही, राश्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में निर्मित मूल सिद्धांत का लक्ष्य है ताकि मॉग को वहन करने के लिए विकास प्रक्रिया द्वारा जैव संसाधनों के परिरक्षण पहलुओं पर तथा मानव के समस्याओं पर, जो राष्ट्रीय योजना का रूपरेखा निर्माण करेंगे, पर बाधा न पडें। जैवविविधता अधिवेशन के अधीन देशों द्वारा लक्ष्य को संशोधन करने तथा ''जैवविविधता के लिए रणनैतिक योजना 2011–2020'' दस वर्षीय रूपरेखा' को अपनाने का निर्णय 10वीं बैठक में लिया गया। भारत के राष्ट्रीय जैवविविधता लक्ष्य तथा ऐची लक्ष्य को सीबीडी एसपी 2011–20 के साथ सामंजस्य में, 12 क्षेत्रों पर केन्द्रीकृत होने जैसे अवधारणा किया गया जिसमें से 7 क्षेत्र नीचे दिये गये विवरण के अनुसार एनबीए लक्ष्य के अंग बनेंगे।

2020 तक ऐची लक्ष्य की उपलब्धि हेतु, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण तथा राज्य जैवविविधता बोर्ड, निम्न गतिविधियों में शामिल होंगे

– क्षेत्रीय स्तर पर जागरूकता को तथा जैवविविधता प्रबंधन समितियों को प्रचालनीकृत करने की ओर उसकी प्रभाविता को प्रोन्नत करना तथा जन जैवविविधता पंजियों की संख्या को विकसित करना

– जैवविविधता का मूल्यांकन तथा योजनाकरण प्रक्रिया का मूल्यांकन

– क्षेत्रों की संख्या तथा बीएचएस में सकारात्मक परिवर्तन के साथ प्रभावी तौर पर मुख्य पारिस्थितिकीय प्रतिनिधित्व क्षेत्रों का संरक्षण

– आनुवंशिक संसाधनों से पहुँच तथा नगोया प्रोटाकॉल के अनुसार लाभों का उचित तथा न्यायसंगत आबंटन सुनिश्चित करना

– गवर्नन्स के विभिन्न स्तरों में कार्यान्वयन के लिए प्रभावी राष्ट्रीय जैवविविधता कार्यकारी योजना की तैयारी

–समूह तथा बीएमसी सदस्यों के उपयुक्त प्रशिक्षण द्वारा समूह के परंपरागत ज्ञान, परंपरागत प्रथाओं को सुदृढ करना तथा उसका संरक्षण करना

– राष्ट्रीय जैवविविधता लक्ष्यों की उपलब्धि हेतु रणनैतिक योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संसाधनों को जुटाना तथा वित्तीय, मानव तथा तकनीकि संसाधनों की उपलब्धता को विकसित करने के लिए संभाव्यताओं को खोजना

अनुलग्नक 1

1. सिटिजन चार्टर

1.1 दृष्टिकोण

भारत की संवृद्ध जैवविविधता तथा संबंधित ज्ञान का, जन सहभागिता के साथ, परिरक्षण तथा संधारणीय उपयोग, जिससे कि वर्तमान तथा भविष्य के पीढियों के कल्याण के लिए लाभ आबंटन की प्रक्रिया को सुदृढ कर सकें।

1.2 मिशन

जैवविविधता का संरक्षण, उसके भागों का संधारणीय उपयोग तथा आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों का न्यायसंगत और उचित आबंटन हेतु जैविक विविधता अधिनियम 2002 तथा जैविक विविधता नियम 2004 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना,,

1.3 अध्यादेश

भारत के जैव–संसाधनों पर प्रभुत्व अधिकारों को पुनःपुष्टि करना तथा जैव–संसाधनों तथा/या संबंधित ज्ञान के दुर्विनियोजन को रोकने की ओर अंशदान प्रदान करना

परिरक्षण, उसके भागों का संधारणीय उपयोग, जैविक संसाधनों के उपयोग में से प्राप्त लाभों का न्यायसंगत आबंटन संबंधित समर्थन तथा नीति प्रदान करना

मार्गदर्शिकाओं के निर्माण, जैविक संसाधनों से तथा हितधारकों से पहुँच हेतु, सामग्रियों का विस्तार तथा जैविक विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों के साथ अनुपालन में न्यायसंगत लाभ आबंटन द्वारा गतिविधियों को नियंत्रित करना

अन्य देशों के व्यक्तियों को बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान करने से या भारत के किसी जैविक संसाधनों से या भारतीय मूल के ऐसे जैविक संसाधनों के साथ संबंधित ज्ञान से पहुँच प्रदान करने से विरोध करने कदम लेना

उनकी क्षेत्र विशिष्ट जैवविविधता के संबंध में कदम सुझावित करना तथा पैतृक क्षेत्रों को अधिसूचित करने में तथा उनके प्रबंधन तथा संधारणीय उपयोग हेतु राज्य सरकार को सलाह देना। उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र के अधीन आनेवाले क्षेत्रों में जन जैवविविधता पंजी (पीबीआर) तैयार करने में जैवविविधता प्रबंधन समितियों को मार्गदर्शन, तकनीकि तथा वित्तीय समर्थन प्रदान करना ।

जैविक विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को कार्यान्वयन करने के लिए आवश्यक अन्य ऐसे कार्यकलापों को निश्पादित करना।

1.4 हितधारक

जैव विविधता एक बहुविषयक विषय है जिसमें विविध गतिविधियॉं, पहलु तथा हितधारक सम्मिलित है। जैविक विविधता में हितधारक में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य, पंचायत राज्य संस्थान, सिविल सोसाइटी संगठन, एनजीओ, अनुसंधान तथा विकास संस्थाएँ, विश्वविद्यालय तथा अधिकतम आम जनता सम्मिलित है।

1.5 प्रदत्त सेवाएँ

जैवविविधता परिरक्षण का प्रोन्नयन तथा उसका संधारणीय उपयोग। राज्य जैव विविधता बोर्ड तथा जैवविविधता प्रबंधन समितियों के गतिविधियों का समन्वयन, तकनीकि मार्गदर्शन प्रदान करते हुए तथा जैसे आवश्यकता हो अध्ययन शुरू करते हुए, अध्ययन को तथा एडेप्टिव/ प्रचालनीय जॉच पडताल का प्रायोजन करना।

जैवविविधता परिरक्षण से संबंधित विषयों पर, उसके अंशों का संधारणीय उपयोग पर तथा जैविक संसाधनों के लाभों का न्यायसंगत आबंटन पर भारत सरकार को सलाह देना। भारत में घटित जैविक संसाधनों या संबंधित ज्ञान से अभिगम के लिए, अनुसंधान परिणामों के अंतरण, बौद्धिक अधिकार मॉगना, अनुसंधान के लिए या वाणिज्यिक उपयोग के लिए या

जैव–सर्वेक्षण या जैव–उपयोग के लिए अभिगमन हेतु तृतीय दल अंतरण का अनुदान अनुमोदन।

सभी हितधारकों द्वारा जैव–संसाधन से अभिगम सुविधाजनक बनाना और पारदर्शी तरीके में जैवविविधता का उपयोगकर्ता तथा परिरक्षक के बीच लाभसंगत आबंटन सुनिश्चित करना।

1.6 शिकायतों का निवारण मेकनिसम

प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकारी ही शिकायत निवारण के लिए अभिहित अधिकारी है। किसी भी शिकायत को निम्न नाम से संबोधित कर सकते है:

प्रशासनिक अधिकारी
राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकारी, टीआईसीईएल बयो पार्क
पॉचवीं मंजिल, सीएसआईआर रोड, तरमणि
चेन्नई 600 113

दूरभाष : 044-2254 2777, 1075 विस्तार : 27
फेक्स : 044-2254 1200

ई मेल : admn@nba.inc.in

1.7 नागरिक / ग्राहक से अपेक्षाएँ

जैविक विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों तथा उसके अधीन निर्मित नियमों के अनुपालन तथा प्राकृतिक संसाधनों के परिरक्षण भाव को आत्मसात तथा प्रोन्नत करना और प्रकृति कानूनों के लिए आदर देना तथा मानव हित में एनबीए और एसबीबीयों द्वारा उपरोक्त गतिविधयों को अपनाये जाने के लिए सहयोग विस्तार करना।

अनुलग्नक 2

प्राधिकरण का सदस्य

जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 8 (4ए) के अनुसार प्राधिकरण का सदस्य निम्न है:

अध्यक्ष	अवधि
श्री हेम पांडेय, आई.ए.एस अतिरिक्त सचिव एमओईएफ और सीसी	फरवरी 6, 2014 से
डॉ बालकृष्ण पिसुपति	अगस्त 12, 2011 से फरवरी 5, 2014 तक
श्री एम.एफ. फरूखी, आई.ए.एस	नवंबर 11, 2010 से अगस्त 11, 2011
डॉ पी.एल. गौतम	दिसंबर 31, 2008 से नवंबर 3, 2010 तक
श्री पी.आर. मोहंती, आईएफएस	अक्तूबर 1 2008 से दिसंबर 31, 2008
श्री जी.के. प्रसाद, आईएफएस	मई 20, 2008 से सितंबर 30, 2008
डॉ एस. कण्णैयन	मई 20 2005 से मई 19, 2008
श्री विश्वनाथ आनंद, आईएएस	अक्तूबर 1, 2003 से जुलाई 14, 2004

धारा 8 (4बी, सी) के अनुसार प्राधिकरण का वर्तमान पदेन सदस्य निम्नलिखित है।

क्रम सं	पदेन सदस्य	द्वारा प्रतिनिधित
1	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव या समान श्रेणी का अधिकारी	श्रीमती निवेदिता, आईओएफएस, निदेशक, जनजातीय कार्य मंत्रालय शास्त्री भवन, डॉ राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली – 110 001
2	अपर महानिदेशक(वन), पर्यावरण तथा वन मंत्रालय, भारत सरकार	श्री ए.के. श्रीवात्सवा, आईएफएस वनों के अपर महानिदेशक, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण वायु ब्लाक, द्वितीय मंजिल, जोर बाग रोड, नई दिल्ली
3	पर्यारवण व वन मंत्रालय में विषय के साथ व्यवहार करनेवाले भारत सरकार के संयुक्त सचिव	श्री बिश्वनाथ सिंहा, आई.ए.एस, संयुक्त सचिव, पर्यावरण व वन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, द्वितीय मंजिल, जोर बोग रोड, नई दिल्ली 110003
4	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, कृषि मंत्रालय में इस विषय के साथ व्यवहार करनेवाले भारत सरकार के संयुक्त सचिव या समतुल्य श्रेणी का अधिकारी	श्री अटणु पुर्कायास्था, आई.ए.एस. संयुक्त सचिव (बीज), कृषि तथा सहकारिता विभाग, कमरा सं. 244, कृषि भवन, डॉ राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली 110 001
5	जैवप्रौद्योगिकी विभाग में इस विषय के साथ व्यवहार करनेवाले भारत सरकार के संयुक्त सचिव या समतुल्य श्रेणी का अधिकारी	डॉ रेणु स्वरूप, सलाहकार, जैवप्रौद्योगिकी विभाग, सीजीओ काम्प्लेक्स, ब्लाक सं.2, लोधी रोड, नई दिल्ली 110 003
6	समुद्री विकास विभाग में इस विषय के साथ व्यवहार करनेवाले भारत सरकार के संयुक्त सचिव या समतुल्य श्रेणी का अधिकारी	डॉ पी. मादेस्वरन, निदेशक, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ब्लाक –12, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003
7	कृषि और सहकारिता विभाग में इस विषय के साथ व्यवहार करनेवाले भारत सरकार के संयुक्त सचिव या समतुल्य श्रेणी का अधिकारी	डॉ स्वपन कुमार दत्ता, उपमहानिदेशक (फसल विज्ञान), फसल विभाग संभाग, आईसीएआर, कृषि भवन, नई दिल्ली 110 001
8	आयुष विभाग में इस विषय के साथ व्यवहार करनेवाले भारत सरकार के संयुक्त सचिव या समतुल्य श्रेणी का अधिकारी	श्री जितेन्द्र शर्मा, आईएफएस मुख्य कार्यकारी अधिकारी राष्ट्रीय औषधीय पौधा बोर्ड, आयुष विभाग, स्वास्थ्य व पारिवारिक कल्याण मंत्रालय, तृतीय मंजिल, आयुष भवन, बी ब्लाक, जी.पी.ओ काम्प्लेक्स, आई.एन.ए, नई दिल्ली 110 023
9	अंतरिक्ष तथा प्रौद्योगिकी विभाग में इस विषय के साथ व्यवहार करनेवाले भारत सरकार के संयुक्त सचिव या समतुल्य श्रेणी का अधिकारी	डॉ बी. हरिगोपाल सलाहकार, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग, तकनॉलजी भवन, नई मेहरौली रोर्ड, नई दिल्ली 110 016
10	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग में इस विषय के साथ व्यवहार करनेवाले भारत सरकार के संयुक्त सचिव या समतुल्य श्रेणी का अधिकारी .	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय, तकनॉलजी भवन, नई मेहरौली रोड, नई दिल्ली 110016 (कोइ पदाधारी नहीं है)

गैर–सरकारी सदस्य (अक्तूबर 17, 2013 से अक्तूबर 16, 2016 तक)	
1.	डॉ एस. सुब्रमणियन, 54, वीजीपी, गोल्डन सी ब्यू, भाग 2, द्वितीय मेइन रोड, पॉचवीं क्रास स्ट्रीट, पालवाक्कम, चेन्नई 600041
2.	डॉ आर.एस. राणा, अध्यक्ष, बयो–लिंक, डी–43, इन्द्रप्रस्था अपार्टमेंट, सेक्टॉर 14, रोंहिणी, नई दिल्ली 110 025
3.	प्रो एम.के. रमेश, प्रोफसर ऑफ लॉ भारत का नेशनल लॉ स्कूल नगरभावी बंगलूर 560 072
4.	डॉ भिस्वजित धर, प्रोफसर ऑफ एकानामिक्स, जवहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, प्रथम ब्लाक, 1796ए, चित्तरंजन पार्क नई दिल्ली 110 019
5.	रिक्त

जैविक विविधता नियम 2004 की धारा 9 के अधीन प्राधिकरण के लिए सचिव
श्री टी. रविकुमार, आईएफएस, दि 02.04.2014 से

अनुलग्नक 3 : संगठनीय संरचना

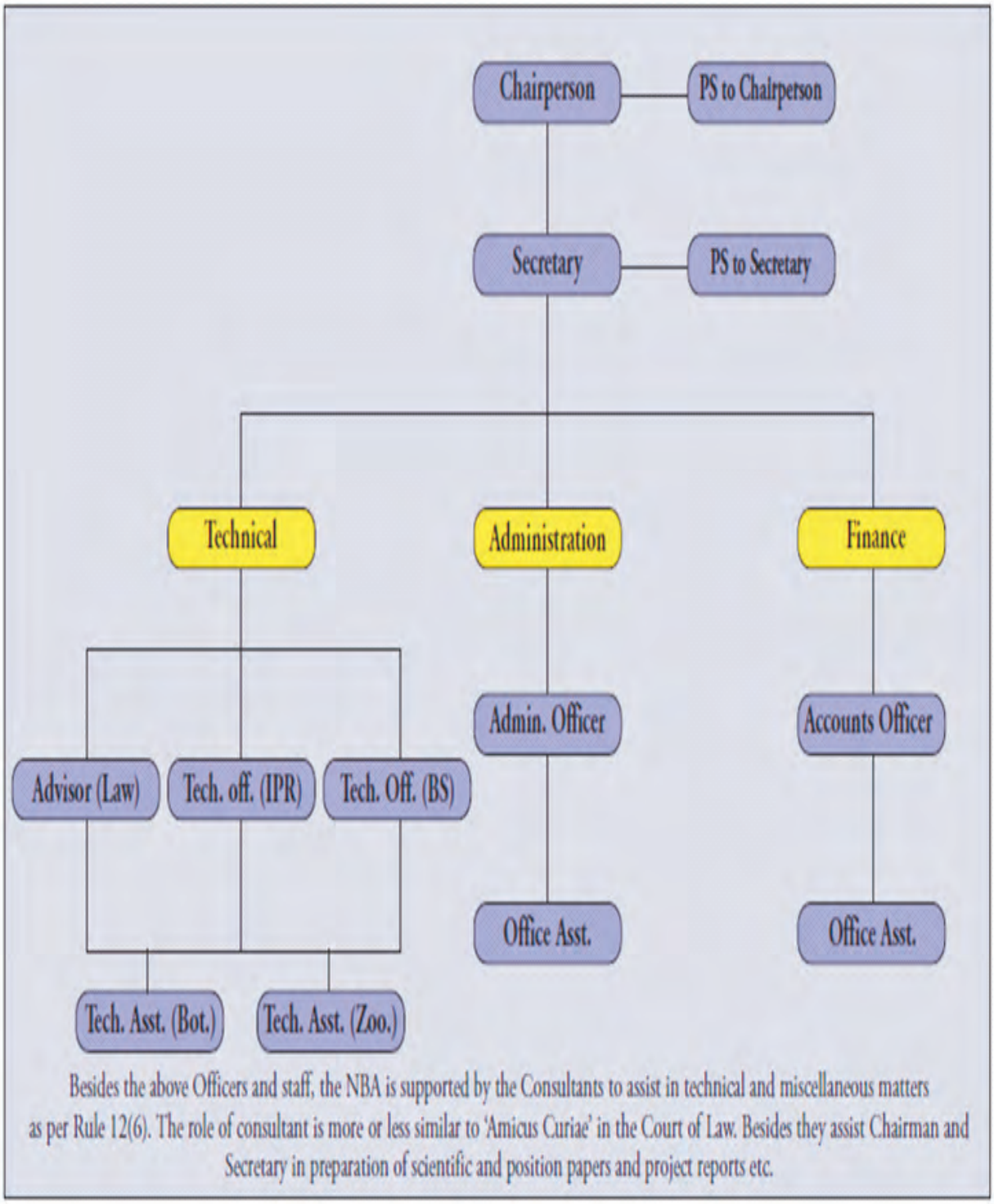

Besides the above Officers and staff, the NBA is supported by the Consultants to assist in technical and miscellaneous matters as per Rule 12(6). The role of consultant is more or less similar to 'Amicus Curiae' in the Court of Law. Besides they assist Chairman and Secretary in preparation of scientific and position papers and project reports etc.

अनुलग्नक 4 – एनबीए का कर्मचारी संख्या

पद	स्वीकृत	नियुक्ति	रिक्त
अध्यक्ष	1	0	1
सचिव	1	1	-
अध्यक्ष का निजी सचिव	1	1	-
सचिव का निजी सचिव	1	1	-
प्रशासनिक अधिकारी	1	1	
वित्तीय अधिकारी	1	1	-
तकनीकि अधिकारी	2	2	-
सलाहकार (विधि)	1	1	-
कार्यालय / कम्प्यूटर सहायक	2	2	-
तकनीकि सहायक	2	2	-
आशुलिपिक 'सी ''	1	1	-
आशुलिपिक ''डी ''	1	1	-
चपरासी	1	1	-
कुल	16	15	1

अनुलग्नक 5

लेखापरीक्षणप्रतिवेदन

सत्यमेव जयते

Gurveen Sidhu

प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा
वैज्ञानिक विभाग
ए० जी० सी० आर० भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट
नई दिल्ली - 110 002
PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT,
SCIENTIFIC DEPARTMENTS,
A.G.C.R. BUILDING, I.P. ESTATE,
NEW DELHI-110 002

D.O.No.Pr.DA(SD)/EA/SAR/NBA-Chennai/2015-16/891 Dated: 16/11/15

Dear Sir,

I have audited the annual accounts of National Biodiversity Authority, Chennai for the year 2014-15 and have issued the Audit Report thereon vide letter dated ..16/11/15... During the course of audit, some deficiencies were noticed (as per Annexure A) which are of a relatively minor nature and were, therefore not included in the Audit Report. These are being brought to your notice for remedial and corrective action.

Yours sincerely,

Encl: As above

Sh. T. Rabi Kumar
Secretary,
National Biodiversity Authority,
TICEL BIO PARK,
5th Floor, Taramani Road,
Taramani, Chennai-600113

दूरभाष / Phone : 23702325, 23702348 फैक्स / Fax : 91-11-23702353

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of National Biodiversity Authority, Chennai for the year ended 31 March 2015

1. We have audited the attached Balance Sheet of National Biodiversity Authority, Chennai as at 31 March 2015 and Income & Expenditure Account/Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 29(2) of Biological Diversity Act. These financial statements are the responsibility of the National Biodiversity Authority, Chennai's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc., Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An Audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that

i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

ii) The Balance Sheet and Income & Expenditure Account/Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by Ministry of Finance, Government of India.

iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the National Biodiversity Authority, Chennai as required under Section 29(2) of Biological Diversity Act in so far as it appears from out examination of such books.

iv) Based on our audit, we further report that:

(A) Balance Sheet

A.1 Capital Fund (Schedule 1) – ₹ 1.68 crore

NBA did not make provision for terminal benefits for the year 2014-15. Besides, an amount of ₹ 24.83 lakh already provided as provision for Gratuity, leave encashment etc., for previous years was also reversed and credited to Capital Fund. This resulted in understatement of liabilities. Capital Fund also overstated to the same extent.

A.2 Current Assets, Loans & Advances (Schedule 11) – ₹ 26.44 crore

Bank Reconciliation Statement for March 2015 revealed that 18 cheques amounting to ₹ 3.71 lakh issued under two bank accounts were time barred. Authority however has not reversed these time barred cheques. This has resulted in understatement of current liabilities and bank balance by ₹ 3.71 lakh each.

(B) Income and Expenditure Account

B.1 Overstatement of income-₹ 1567.02 lakh

NBA depicted an amount of ₹ 1556.25 lakh representing royalty, fee, subscription as Income in Income and Expenditure account instead of showing the amount as addition to Earmarked/Endowment fund under "liabilities". Besides, an amount of ₹ 10.77 lakh being interest earned on in vestment made out Earmarked Funds was also booked as income. This led to overstatement of income to the extent of ₹ 1567.02 lakh.

(C) General

NBA accounting interest on Savings Bank Account on cash basis in contravention of its significant accounting policy which states that accounts are prepared on accrual basis.

(D) Grants-in-aid

During the year 2014-15, NBA received grant-in-aid of ₹ 19.06 crore (out of which ₹ NIL was received in March 2015), unspent balance of ₹ 14.18 crore from previous year and ₹ 0.65 crore other receipts during the year. Out of the total available funds of ₹ 33.89

crore, NBA could utilize a sum of ₹ 24.77 crore leaving a balance of ₹ 9.12 crore as on 31 March 2015.

(E) Other – Management letter

Deficiencies which have not been included in the Draft Separate Audit Report have been brought to the notice of the National Biodiversity Authority through Management letter issued separately for remedial/ corrective action.

i) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts& Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

ii) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in **Annexure** to this Separate Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.

a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the National Biodiversity Authority, Chennai as at 31 March 2015 and
b. In so far as it relates Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of the C&AG of India.

16/11/15

Place: New Delhi
Date: 16/11/15

Principal Director of Audit
Scientific Departments.

Annexure

1. Adequacy of Internal Audit

Internal Audit of NBA was conducted for the period from 2003-04 to 2008-09 during April 2009. For more than five years, no inspection was conducted by the administrative Ministry. The Inspection Report pertaining to the above internal audit contained 21 paragraphs which are outstanding till date. This proved that internal audit mechanism was not effective.

2. Adequacy of Internal Control.

2.1. Non-adherence to procedures relating to drawal and passing of bills prescribed in the Receipts & Payments Rules.

The amount of budget allotment under the head and also the appropriation being made in the current bill were not being noted on the bills in NBA, thereby diluting the internal financial control mechanism.

3. System of physical verification of fixed assets:

NBA conducted physical verification of Assets items, stores and inventory during the year 2014-15. Audit however observed that the surplus, damaged, unserviceable, old and obsolete were not identified as required to be done under GFR-192(3) (iii).

4. System of physical verification of inventory:

Physical verification of inventory had been carried out at regular intervals.

5. Regularity in payment of statutory dues:

The Authority was regular in payment of statutory dues.

के.गो. 16/11/15
Director (EA)

Annexure-A

1. Utilization certificates

It is observed that during the year 2014-15, NBA received an amount of ₹ 9,86,92,908 as Grant in aid for Strengthening of State Biodiversity Boards, however only ₹ 4,22,94,237 was disbursed to SBBs leaving a unutilized balance of ₹ 5,63,98,671. Thus 57 percent of the funds allotted for this purpose were unutilized during the year 2014-15. During 2014-15, NBA received total grants (inclusive of other receipts) to the extent of ₹ 33,89,64,655 out of which ₹ 24,77,64,846 were utilized leaving a balance of ₹ 9,11,99,809. Thus 26.90 percent of the total funds received were not utilized.

As regards receipt of Utilization Certificates for funds released by NBA to SBBs, PBR, other agencies etc. it is observed that during the period 2005-06 to 2013-14 a total amount of ₹ 22,32,48,357 was released to 446 agencies , out of which utilization certificates are pending from 146 agencies towards grants amounting to ₹ 13,20,48,122. This shows that Utilization certificates are pending from 32 percent of the agencies pertaining to 59 percent of grants released.

Details of Utilization certificates pertaining for more than three years has not been disclosed in the Notes to Accounts appended to the Annual Accounts.

3. Undischarged Current Liability – ₹ 1.67 lakh

An amount of ₹ 1.67 lakh was shown as liability which pertained to closed UNDP project. The amount is required to be refunded and liability discharged.

4. Outstanding Advances

It was observed that the following advances were paid but so far not adjusted,

Statement showing list of Outstanding Advances for the Financial year 2014-15					
Sl. No.	**Name of Staff**	**Bill No.**	**Date of Payment**	**Purpose**	**Amount (₹)**
1.	PAO, DIT, Chennai	104	18.04.2013	Advance for WAS Audit	1,12,360
2.	Shri. C.A. Reddy, Ex. Secretary, NBA	1575	11.03.2014	Transfer T.A. Advance to go to Goa	1,54,745

3.	Smt. Shanthi Jayaram, P.S. to Secretary	772	29.10.2014	Transfer Pay Advance	32,050
4.	Smt. Shanthi Jayaram, P.S. to Secretary	773	29.10.2014	Transfer T.A. Advance	55,035
5.	Shri. M. Surendra Ram, MTS, NBA	1300	13.03.2015	LTC Advance	12,937
Total					385127

NBA needs to take speedy action to adjust/recover the outstanding advances.

5. Accounting of books printed by NBA and books purchased by NBA for the purpose of free distribution.

Audit noticed that printed material worth ₹ 88011.50 was in stock as of March 2015 without put to productive use.

16/11/15

Director (EA)

अनुलग्नक 6

प्रतिवेदित अवधि के दौरान, अध्यक्ष, सचिव तथा एनबीए अधिकारियों ने विशेष भाषण प्रस्तुत किया और निम्न बैठकों में भाग लिया।

22.05.2014	जुआलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ संयोग में राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण द्वारा टैगोर सरकारी कॉलेज, पोर्ट ब्लेयर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस (आईबीडी) मनाया।
04.08.2014 से 06.08.2014	होटल अलिलादिवा गोआ, गोआ में जैविक विविधता पर अधिवेषण (सीबीडी) मुख्य चुनौतियों पर द्वितीय अभिगम और लाभ आबंटन (एबीएस) विचार विनिमय और नगोया प्रोटोकॉलको कार्यान्वयन करने के लिए आगे की व्यावहारिक रास्ता। इसका आयोजन जीआईइजड तथा राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण के साथ संयोग में पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित
04.01.2015	स्पोर्टस काम्प्लेक्स (एसपीएस), मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई में 102वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस में पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लिए माननीय केन्द्रीय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के साथ संयोग में कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ''संस्कृति के जरिये पुराने विज्ञान ''
05.01.2015	अलकेश दिनेश मोडी आडिटोरियम (एडीएम), मुम्बई विश्वविद्यालय,, मुम्बई में 102वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस में ''जैवविविधता परिरक्षण – वर्तमान समस्याएँ और आगे की रास्ता '' शीर्षक वाले प्लेनरी सत्र
18.01.2015	वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून में पहाडी वनीकरण को बदलने पर अंतर्राष्ट्रीय सिम्पोसियम
29.01.2015 और 30.01.2015	मुम्बई में प्रकृति परिरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूनियन (आईयूसीएन) द्वारा आयोजित ''प्रकृति के नेता '' कार्यक्रम के अधीन बिसिनल फॉरम बैठक
03.02.2015 और 04.02.2015	जैवविविधता नीति तथा विधि के लिएसमेकिन केन्द्र (सीईबीपीओएल) पर कार्यशाला – अभिगम तथा लाभ आबंटन (एबीएस) पर अनुभव का आबंटन

अनुलग्नक 7 – संक्षिप्त रूप

एबीएलई	:	एसोसियेशन ऑफ बयोतकनॉलजी लेड एन्टरप्राइसेस
एबीएस	:	अभिगम तथा लाभ आबंटन
एबीएस	:	अकादमी ऑफ बिसिनस स्टडीज
एबीएससीएच	:	एबीएस क्लियरिंग – घर
एडीएमए	:	आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन संघ
एपीईडीए	:	कृषि तथा प्रक्रियाकृत खाद्य सामग्री निर्यात विकास प्राधिकरण
बीसीआईएल	:	जैवतक कन्सार्टियम इंडिया लिमिटेड
बीसीपी	:	जैव–सांस्कृतिक समूह प्रोटोकॉल
बीडी अधिनियम	:	जैविक विविधता अधिनियम
बीएचएस	:	जैवविविधता पैतृकता क्षेत्र
बीएमसी	:	जैवविविधता प्रबंधन समिति
बीआर	:	जैविक संसाधन
बीएसआई	:	बाटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया
सीबीडी	:	कन्वेन्शन ऑन बयोलॉजिकल डाइवर्सिटी
सीईबीपीओएल	:	जैवविविधता सिद्धांततथा नीति के लिए केन्द्र
सीईजी	:	मुख्य विशेषज्ञ दल
सीएचएम	:	क्लियरिंग हाउस मेकनिसम
सीआईआई	:	भारतीय उद्योगों का कंफडेरेशन
सीएमएफआरआई	:	केन्द्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान
सीओपी	:	दलों का कांफरेन्स
सीएसआईआर	:	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
सीएससीबी	:	केन्द्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड
डीएसी	:	कृषि व सहाकारिता विभाग
डीएफओ	:	संभागीय वन अधिकारी
डीटीआर	:	रोज व्यापार रिटर्न
डीजीएफटी	:	विदेशी व्यापार का महानिदेशक

ईसी	:	विशेशज्ञ समिति
ईएनवीआईएस	:	पर्यावरणीय सूचना प्रणाली
एफआरएलएचटी	:	क्षेत्रीय स्वास्थ्य परंपराओं के रीवाइटलाइसेशन के लिए फाउन्डेशन
एफओबी	:	फ्री ऑन बोर्ड
जीईएफ	:	वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा
जीओआई	:	भारत सरकार
आई–एआईएम	:	आयुर्वेद तथा इन्टग्रेटिव औषधि संस्थान
आईबीडी	:	अंतराष्ट्रीय जैवविविधता दिवस
आईबीआईएस	:	भारतीय जैवविविधता सूचना प्रणाली
आईसीएआर	:	कृषिक अनुसंधान के लिए भारतीय परिषद
आईआईएफएम	:	वन व्यवस्था के लिए भारतीय संस्था
आईआईएससी	:	विज्ञान का भारतीयं सस्था
आईएनबीआईएफ	:	भारतीय जैवविविधता सूचना सुविधा
आईआरसीसी	:	अनुसरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र
आईटीसी	:	भारतीय व्यापार वर्गीकरण
आईटीपीजीएफआरए	:	खाद्य व कृषि के लिए पौधा आनुवंशिक संसाधन पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध
आईयूसीएन	:	प्रकृति परिरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ
एलबीएफ	:	क्षेत्रीय जैवविविधता निधि
आईपीआर	:	बौद्धिक संपत्ति अधिकार
एमओईएफ और सीसी	:	पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एमपीसीए	:	औषधीय पौधा परिरक्षण क्षेत्र
एनबीए	:	राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण
एनबीएपी	:	राष्ट्रीय जैवविविधता कार्यकारी योजना
एनबीएजीआर	:	प्राणि आनुवंशिक संसाधनों का राष्ट्रीय बीरो
एनबीपीजीआर	:	पौधा आनुवंशिक संसाधनों के लिए राष्ट्रीय बीरो
एनबीएसएपी	:	राष्ट्रीय जैवविविधता रणनीति तथा कार्यकारी योजना
एनईए	:	नार्वीजिय पर्यावरण एजेन्सी
एनजीओ	:	गैर–सरकारी संगठन
एनजीटी	:	राष्ट्रीय हरा प्राधिकरण

एनआई	:	प्रकृति इन्डेक्स
एनएमपीबी	:	राष्ट्रीय औषीय पौधा बोर्ड
एनपी	:	नगोया प्रोटोकॉल
एनपीवी	:	निवल वर्तमान मूल्य
एनटीस	:	सामान्य तौर पर व्यापार किये जानेवाले सामग्री
पीबीआर	:	जन जैवविविधता पंजी
पीसीसीएफ	:	वन का प्रिंसिपल मुख्य परिरक्षक
पीपीवीएफआर	:	पौधा किस्मों तथा किसान अधिकारों को सुरक्षा
पीपीवीएफआरए	:	पौधा किस्म तथा किसान अधिकार प्राधिकारी का सुरक्षा
पीएससी	:	परियोजना स्टीरिंग समिति
आरऔरडी	:	अनुसंधान व विकास
आरईटी	:	अनोखी, लुप्तप्राय व संकट में पडे
आरआईएस	:	अनुसंधान व सूचना प्रणाली
आरएमएनएच	:	प्राकृतिक इतिहास का क्षेत्रीय संग्रहालय
एसबीबी	:	राज्य जैवविविधता बोर्ड
एसपी	:	रणनैतिक योजना
एसपीसी	:	राज्य परियोजना सहसमन्वयक
एसपीयू	:	राज्य परियोजना इकाई
टीईईबी	:	पारिस्थितीकी तथा जैवविविधता का आर्थिकता
टीके	:	परंपरागत ज्ञान
टीओआर	:	संदर्भ शर्त
टीओटी	:	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण
टीएसजी	:	तकनीकि समर्थन दल
टीटी	:	प्रौद्योगिकी अंतरण
यूसीएम	:	उपयोगकर्ता देशीय कदम
यूजीसी	:	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
यूएनडीप	:	संघ राज्य विकास कार्यक्रम
यूएनईपी	:	संघ राज्य पर्यावरण कार्यक्रम
यूएनईपी–डीईएलसी	:	संघ राज्य पर्यावरण कार्यक्रम – पर्यावरण विधि तथा अधिवेशनों का संभाग
यूएनयू–आईएएस	:	संघ राज्य विश्वविद्यालय – अग्रणी अध्ययन का संस्थान
डब्ल्यूसीसीबी	:	वन्य जीवन अपराध नियंत्रण बीरो
इजडएसआई	:	जुआलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया

एनबीए के बारे में

भारत के जैविक विविधता अधिनियम (2002) को कार्यान्वयन करने के लिए राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण(एनबीए) को स्थापित किया गया। एनबीए एक सांविधिक, स्वायत्त बॉडी है और यह जैव संसाधनों के परिरक्षण, संधारणीय उपयोग संबंधित समस्याओं तथा जैविक संसाधनों के उपयोग में से प्राप्त लाभों के न्यायसंगत आबंटन पर भारत सरकार के लिए सुगम, नियंत्रणीय तथा सलाहकारी कार्यवाही को निष्पादित करता है।

जैविक विविधता अधिनियम (2002), जैवविविधता परिरक्षण, उसके भागों का संधारणीय उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग में से प्राप्त लाभों के न्यायसंगत आबंटन संबंधित विशयों पर केन्द्र सरकार को सलाह देने पर तथा राज्य सरकार को जैवविविधता मुख्यतावाले जगहों को चयन करने में, ताकि धारा 37 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें अधिसूचित कर सकें व ऐसे पैतृक क्षेत्रों के व्यवस्था के लिए कदम पर सलाह देने, एनबीए केन्द्रीकरण के साथ विकेन्द्रीकृत प्रणाली के जरिये अधिनियम के कार्यान्वयन का अधिदेश देता है ।

राज्य जैवविविधता बोर्ड (एसबीबी), जैवविविधता परिरक्षण, उसके भागों का संधारणीय उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग में से उत्पन्न लाभ का आबंटन से संबंधित विशयों पर, केन्द्र सरकार द्वारा जारी किसी मार्गदर्शिकाओं के तहत, राज्य सरकारों को सलाह देने पर केन्द्रीकृत है

भारतीयों द्वारा किसी जैविक संसाधनों के जैव सर्वेक्षण या जैव उपयोग या वाणिज्यिक उपयोग के लिए विनती करते हुए या अनुमोदन प्रदान करते हुए भी एसबीबी नियंत्रित करता है। प्राचीनतम प्रजातियॉ, लोक किस्मों और कल्टिवर्स, पालतू स्टॉक्स और प्राणियों के पालन और सूक्ष्म जीवों के परिरक्षण को प्रोन्नत करने के लिए तथा जैविक विविधता से संबंधित ज्ञान को इतिवृत्त करना क्षेत्रीय स्तर जैवविविधता प्रबंधन समितियॉ का (बीएमसी) जिम्मेदारी है ।

चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित मुख्यालय के साथ एनबीए, प्राधिकरण, सचिवालय, एसबीबी, बीएमसी और विशेषज्ञ समितियॉ सम्मिलित संरचना के जरिये अधिदेश को डेलिवर करता हैं

एनबीए के स्थापन से, 29 राज्यों में एसबीबीयों के निर्माण को समर्थन प्रदान किया है और क्षेत्रीय स्तर में 37769 बीएमसीयों के स्थापन को सुगम किया है।

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण

पॉचवीं मंजिल, टाइसेल बयो पार्क, सीएसआईआर रोड तरमणि

चेन्नई 600 113 तमिलनाडु

Tel: +91 44 2254 1075 | 2254 2777 | Fax: +91 44 22541200

Email: secretary@nbaindia.org | Website: www.nbaindia.org